

RNI NO.CHHIN/2012/46660

ISSN : 2277-6907

Mind *and* Society

*A Peer Reviewed Research Journal
in Humanities and Social Sciences*

Volume : 09
Issues : III & IV,
Sep. & Dec, 2020

Patron & Founder Editor

Prof. Bansh Gopal Singh

(VC, Pt. Sundarlal Sharma Open University, Bilaspur C.G.)

Editor in Chief

Prof. Abha Rupendra Pal

(Prof. & HoD, SoS in History, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur C.G.)

Managing & Joint Editor

Dr. Basant Kumar Sonber

(Govt. KDRM P.G. College Rajnandgaon, C.G.)

Associate Editors

Dr. Jay Singh

(B.P.D. Govt. P.G. College Kanker C.G.)



Published by

Manav Navnirman Sansthan

60-Kanchanbag Rajnandgaon (C.G.)

Published by

Manav Navnirman Sansthan

60-Kanchanbag Rajnandgaon (C.G) Pin - 491441 INDIA

Contact : 07744359262, 9827186909, 94077746100

E-mail : mindandsociety99@gmail.com, drbsonber@gmail.com

© **President**

Manv Navnirman Sannsthan

Rajnandgaon (C.G.)

Price : Rs. 500.00

Membership :

For One Year 1000.00

For Two Year 1500.00

For Life time 5000.00

Composed & Printed by :

Chhattisgarh Offset, Rajnandgaon (C.G.)

Disclaimer :

The views expressed by the authors in their research papers are their own. 'Mind and Society' and its publisher /Editor/printer do not take any responsibility for any injury and/or damage to person or property caused by the article. Author will be solely responsible for the issues related to intellectual property, copy right and plagiarism. All the disputes related to 'Mind and Society' will come under the jurisdiction of Rajnandgaon(C.G.) court only.

Board of Editors

Dr. Tushar Singh

Psychology, BHU Varanasi, U. P.

Dr. Akhilendra Kumar Singh

Psychology, DAV PG College, BHU, Varanasi U.P.

Dr. R.P. Sonkar

Psychology, V.K.M. Kamachha BHU, Varanasi U.P.

Dr. Anand Murti Mishra

Anthropology, Bastar University, Jagdalpur, C.G.

Dr. Nister Kujur

Sociology, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Dr. Rishi Raj Pandey

History, Govt. P.G. College, Bhatapara C.G.

Dr. Raghwesh Pandey

Law, Govt. College Ballod, C.G.

Dr. Anupama Saxena

Political Science, Guru Ghasidas Central University, Bilaspur C.G.

Dr. Sumita Shrivastava,

Economics, Govt. Digvijay PG College Rajnandgaon C.G.

Dr. Pankaj Singh

History, Dr. H S Gaur Central University, Sagar M.P.

Dr. Anuja Jadhav

English, Rajarshi Shahu Mahavidyalaya Latur. MH.

Dr. P.C. Dwivedi

Sanskrit C.M.D. Mahavidyalaya, Bilaspur C.G.

Editorial Consultants

Prof. M.P. Gupta

Geography, (Retd.) Prof., Pt. Ravishankar Shukla University Raipur C.G.

Prof. Meeta Jha

Psychology, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur C.G.

Dr. Amrendra Tripathi

Hindi, Allahabad Central University, Allahabad U.P.

Dr. Anita Dhurwe

Sociology, Barkatullah University Bhopal, M. P.

Prof. Anupam Sharma

Political Science, National Tribal University Amarkantak M.P.

Prof. Priyamvada Srivastava

Psychology, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur C.G.

Dr. Virend Matseniya

Economics, Dr.H.S. Gaur Central University Sagar M.P.

Dr. Ashish Shrivastava,

Law, Lacknow University Lacknow U.P.

Board of Advisors

Prof. Girishwar Misra

VC, Mahatma Gandhi Antarastriya Hindi Vishvavidyalaya Vardha MH.

Prof. A. P. Singh

B.H.U. Varanasi U.P.

Prof. A. K. Shrivastava

N.C.E.R.T. New Delhi

Prof. B. Hasan

Pt. Ravishankar Shukla University Raipur C.G.

Prof. K. N. Tripathi

Barkatulla University Bhopal M.P.

Prof. O.P. Verma

Swami Vivekanand Chair Prof. Pt. Ravishankar Shukla University Raipur C.G.

Prof. Santosh Shukla

Dr. H.S. Gaur Central University Sagar M.P.

Prof. R. N. Singh

B.H.U. Varanasi U.P.

Prof. P. K. Rai

Dr. H.S. Gaur Central University, Sagar M.P.

Prof. K. S. Mishra

Allahabad Central University, Allahabad U.P.

Mind and Society

A Peer Reviewed Research Journal in Humanities and Social Sciences

(ISSN - 22776907, RNI NO- CHHHIN\2012\46660)

Guidelines for Authors

Every submission should adhere to the journal format and style, legibly written in good English/Hindi, comprehensive, concise and complete. It is essential that author(s) should prepare the manuscript according to journal's instructions. Failure to follow them may result in papers being delayed or rejected. Therefore, contributors are strongly encouraged to read these instructions carefully before preparing a manuscript for submission and the manuscripts should be checked carefully for grammatical errors too.

All manuscripts for publication will be considered on their individual merits. The manuscripts will be subjected to "peer review". The manuscripts will be sent to reviewers/referees and their comments along with the editorial board's decision will be forwarded to the corresponding author for necessary action. The final decision to accept an article rests with Editor-in-Chief who reserve the right to make alterations in manuscripts. Prior and duplicate publications are not allowed. Manuscript(s) must be accompanied with a statement (Membership Form) that it has not been published elsewhere and that it has not been submitted simultaneously for publication elsewhere. Authors are required to sign an agreement transferring the copyright to the publisher. All accepted manuscripts, and photographs become the property of the publisher.

Instructions for Preparation and Corresponding Research Article:

1. All parts of the manuscript should be typewritten, 1.5 space, with margins of at least one inch on all sides .
2. The manuscript should be on A4 size. Page numbers should be given accordingly.
3. Each article should be summarized in an abstract of not more than 200 words and avoid abbreviations, diagrams, and reference to the text.
4. The manuscript should be prepared in MS Word in Times New Roman font for articles in English using a font size of 12.
5. For Hindi articles, prepare manuscript in MS Word in Kruti Dev-10 font using a font size of 14.
6. Reference should be in accordance with APA style.
7. Name, post, complete address, Email address, and contact no. should be mentioned below the article.
8. The complete paper to be mailed on mindandsociety99@gmail.com or drbsonber@gmail.com.
9. Membership fee must be paid by a DD named MANAV NAVNIRMAN SANSTHAN RAJNANDGAON (paid to SBI Goshalapara branch, Rajnandgaon, branch code SBIN-0030400)
10. Two Hard copy of the paper, one soft copy in CD , membership form, certification of originality must be send to the editorial address.
11. The Journal also can be subscribed online on 'www.mindandsociety.in' .

Content

1. Covid 19- A spiritual perspective	Neera Dhar Ankur Yadav	07-09
2. A Comparative study of adjustment between Urban and Rural Students	Basant Kumar Sonber Rakhi Dewangan	10-13
3. Jurisprudential Dimension of Justice	Shreemanshu Kumar Dash	14-22
4. व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारीयों की प्रकृति का अध्ययन	रोली तिवारी चित्रलेखा वर्मा	23-30
5. जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रभाव का अध्ययन	अजय कुमार राय	31-38
6. भतरा जनजाति में जन्म संस्कार का मानवशास्त्रीय अध्ययन	आनंद मुर्ति मिश्रा प्रीति मिश्रा शारदा देवांगन	39-43
7. बैगा जनजाति की वनोपज संग्रह की स्थिति का अध्ययन	राम कुमार उसरेठे	44-46
8. बस्तर का नलवंश एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन	डिश्वर नाथ खुटे	47-52



9. कांकेर में रियासत कालीन जनजातीय समाज की परम्परागत लोक शिल्प कला का ऐतिहासिक महत्व	सुधा खापर्डे चेतन राम पटेल	53-56
10. संत कबीर की पर्यावरणीय चेतना	प्रवीण कुमार साहू	57-59



Editorial.....

Covid 19- A spiritual perspective

Science was thought to be a panacea for all life challenges on this globe. And rightly so. Its achievements and milestones have been stunning and incredible, saving and protecting the teeming millions from various sufferings, drudgeries and bringing a revolution towards evolving the intellectual and cognitive domain of life. A thrill, buoyancy and excitement for the youth with radical advances in software and information technology. Its progress on all fronts of life has not only been formidable but invincible indeed. Certainly fathomable by one and all. Logic and rationality reigned and conquered in the absolute order over decades, doubting the existence of God¹.

However, today, the question is, where did we go wrong? What has led to the present existential crisis? Did we miss out on the affective and human domains, violating the basic existential principle of inter-relatedness, interdependence, co-existence and the concept of oneness. Starting from the Wuhan crisis, the world has been battling over so many months to combat an invisible tiny demon in the form of covid 19. What an unimagined catastrophe ! A heinous crime against the entire humanity not even discernible by the human mind. Life has become nothing less than a maze. All scientists, clinicians, public health professionals, thinkers, philosophers, writers, poets, artists, academicians are absolutely dazed. Fantasies, abundant knowledge, prudence and wider imaginations have been defeated. Seems to be a celestial game indeed!

Do humans deserve this consistent inexplicable suffering, agony, grief? A helplessness of such a great magnitude. History has never witnessed such a globally threatening disaster in the profound era of science in last many decades. People- young and old; men and women are evaporating across the globe in intense physical and emotional trauma. Scientists and loved ones are witnessing the tragedies with the utter disgust, torture, deep and tormenting alarm, helplessly. A mysterious scenario. Why such a ghastly setback in this powerful, magical age of science? Unbelievable global chaos created by such a micro size coronavirus. There is no direct answer for this. The need of the hour is to reflect back and introspect.

Let us begin with the principles of co-existence, which is inbuilt in the given existential design. A consistent, unrelenting war was waged without fail, against all the beings and nonbeings, be it natural beauty, birds, animals or the eco system. A crass opportunism to pave the way for their benefit and comfort by the human race. Never was there a retreat to ponder. A mad rush and race to win, rule and dominate at the cost of other animates and in -animates; tangible and intangible. An obsessive compulsive neurotic attitude to conquer the world, to acquire, possess and hoard wealth treasures, whatsoever amount of exploitation and injustice it meant. Never did they realize that they were the trustees and constructive interventionists on this planet, rather than the owners. The humans have been operating, thinking and functioning at a very low level of consciousness, ignoring their superior covert core and inner self. They lived in a state of false material hallucinations.

HER Majesty, the Nature, was violently assaulted over and over again , trampling on her exhilarating charm, ecstasy and fragrance. Its benediction and free of cost services were hardly

8 / Covid 19- A spiritual perspective

acknowledged, realized or internalized. No question of gratitude. No longer were we witness to the majestic sunrise- the basic fountain head of our survival; the radiance and laughter of flowers, smile of their petals with the glittering dew drops on these; the magnificent moonlit night and illuminating twinkling stars; the serenity of the breeze, the rain nectar, the majestic mountains and sky, the musical rhythms of the birds and the rivers, the music of streams, the ragas of waterfalls, the gigantic sea ; our companions, the tress and their dancing leaves. Such a thankless casual attitude to these exquisite blessings bestowed to the humans to make their survival possible and add beauty and aroma to their existence.

Religious institutions, ideologies, principles were meant to bring humanistic perspective and practices to lead a meaningful life filled with gratitude. A universal, empathetic, affectionate bonding is the aim of all religions². But it created mental gaps and separated the humans from one another and from THE SUPREME GUIDING FORCE. Rather than paving the way towards oneness, morality and ethics, some of these were diffused and misused for the personal gratification, attention seeking purpose and arrogance to claim that , “ my religion is superior to yours”. Unfortunately it led to drawing the lines of unpleasant obsessive control across the borders. Corrupt practices, criminal activities and intellectual terrorism by a few have been the heart wrenching and a big setback to pure core of the religion . Some religious messages in disguise were deeply into misleading the helpless, innocent and honest for creating false following and setting up wealth acquiring mechanisms³. Some people converted religion institutions gradually into a business, commercial centers⁴. Though many held these religious institutions with grave suspicion, yet the fake confidence sustained for many, with the hope to get immediate solutions for the undaunted and helpless situations of life. Within the same religion, divisive trends reigned. Hostility, resentment, violence, anger and destruction among castes, creeds, sects, specific religious dogmas confined to a particular group, engineered an absurd inhuman, psychological distance among the people . Certain religious pilgrimages had more or less a picnic orientation and ravaging the purity of surroundings and positive vibrations at such pious places. Faith, prayer, surrender and love for the Supreme, was not always the motive to visit such renowned religious places.

The interpersonal relationship networks at personal, familial, neighborhood, social and organizational set ups was more or less operating in a manipulative fashion. Authenticity, empathy, concern, genuineness could be rarely discerned. The bliss and joy of the relationships was missing. Love and compassion had become as if the entities belonging to the dream domain. Drawing paintings, clicking photographs, writing stories, intellectual debates /discussions, writing blogs on the people with hunger pangs, victims on the roadside, abandoned street children and the old, people in painful illness was a common scenario. But extending self to these needy in terms of empathetic listening, philanthropy, and charity was frugal. Hoarding and exploitation followed the way of life. Humans lost the control on greed and material possessions, mesmerized by the ostentatious demeanor, living a life painted by delusions. Much away from what the great Indian monk believed that every soul is potentially divine and deserves attention, care and concern. Human’s journey towards the spirituality remained largely unraveled because of his selfish motives and obsessive material cravings ignoring the path of sharing, sacrificing and caring for others. Distraction from the higher and ultimate purpose of existence led to spiritual vacuum and famine and a life of hallucinations sustained.

Social distancing norms and guideline proposed by the experts due to covid 19 is disheartening, but primarily what has been advised is the physical distancing among humans. Social and emotional

distancing had set in decades back but veiled by the physical proximity which was visible to the naked eye. The threads of loving modes towards one another had a setback much earlier. Deceptions, arrogance and jealousies; filthy ego battles, unhealthy comparisons, unrelenting ambitions with no grace to retreat, ungratefulness, vindictiveness, unforgiving attitudes, crass opportunism had become the life style. These had deeply impacted the other important aspects and institutions of life like marriage, sexual orientations and perversion, movies, poetry, art and music. Such demeaning values and behaviors of life reverberated all around, creating negative unpleasant reflections and vibrations.

The human existence for a long has been an unpleasant story of retreat from the focus on transcendence to the mundane; from the universal love to obsessive materialism; from the compassion to jealousy; from extension of self to ego and arrogance. Our journey on this planet stands now in the ULTIMATE COURT OF JUSTICE !

Nature is in a defiant mood now, taken recourse to the radical mode, seeking pledges from the humans. THE SUPREME CONTROLLER is seeking the answers. Who will resolve? The believer, the atheist or the agnostic? Let us ponder and think.

References:

1. Dhar N., Chaturvedi S.K., Nandan D.(2011): Spiritual Health Scale 2011: Defining & Measuring 4th Dimension of health. *Indian Journal of Community Medicine, Vol. 36, Issue 4, pp* 275-282
2. Dhar N., Chaturvedi S.K., Nandan D.(2012): Self Evolution – 1st Domain of Spiritual Health AYU- *AnInternational Quarterly Journal of Research in Ayurveda, vol 33, Issue 2 pp* 174-177
3. Dhar N., Chaturvedi S.K., Nandan D.(2013): Spiritual health, the fourth dimension: a public health perspective WHO *South-East Asia Journal of Public Health Volume : 2 Issue : 1, Page* : 3-5
4. Gaur Kusum Lata and Sharma Mahesh (2014) Measuring Spiritual Health: Spiritual Health Assessment Scale (SHAS), *The International Journal of Innovative Research and Development, Volume 3, Issue 3*

Neera Dhar
Professor and Head, Department of Education and Training, NIHFV, New Delhi.
Ankur Yadav
Assistant Professor, Department of Communication, NIHFV, New Delhi.



A Comparative study of adjustment between Urban and Rural Students

* *Basant Kumar Sonber*
* * *Rakhi Dewangan*

Received
17 Nov. 2020

Reviewed
21 Nov. 2020

Accepted
26 Nov. 2020

The present study is designed to explore whether a significant difference between the adjustment ability in students living in rural and urban sessions. It is hypothesized that there would be found no significant differences between both the particular areas. To conduct the present study two higher secondary government schools situated in different resident areas were selected from Rajnandgaon district of Chhattisgarh state. The first resident area was rural and second was urban. 20-20 students of both the schools were taken randomly. All students of both the schools were boys and studying in the same standard class 10th. Adjustment test of AKP Sinha and AP Singh is used as a tool to assess the adjustment ability of the students. Data was analyzed to use the t-test between the mean adjustment score of rural and urban students. Finding of this study shows that there is a significant difference between adjustment ability of urban and rural resident student. Urban student were found more able to adjust themselves than rural student.

Education is the powerful weapon through which we can become omnipotent, intelligent, and knowledgeable, through this we can achieve a better life by achieving high status in life and helping to shape our life with others. Life can also be groomed. The main task of education is to make the person able to adjust according to the society. The main source of education is the school where the student learns the process of adjusting, it can be said that a person with good adjustment succeeds in the future and that independent thought and self-esteem is fulfilled. It is the responsibility of the teacher to develop the students freely so that they can understand the environment around them and adjust themselves. God has provided man with the

amazing ability to adjust by which he maintains his relations of brotherhood and competition with the people.

Education is a complex and comprehensive process of bringing psychological and behavioral changes. Adjustment helps the organism to cope with the needs and pressures of the outside world as well as desires and conflicts. Adjustment is the process by which a living organism balances between its needs and circumstances, affecting the satisfaction of needs.

The word adjustment means the process of adapting to the conditions in a systematic or good manner so that the needs of the person are met and social stagnation does not arise therein. According to Tyso "Adjustment is

*Assistant Professor, Psychology, Govt. KDRM PG College Rajnandgaon C.G.

**Research Scholar, Psychology, Govt. KDRM PG College Rajnandgaon C.G.

A Comparative study of adjustment between Urban and Rural /11

expressed in a few specific words, such as the ability to receive, the ability to be affection, the balanced life, the ability to benefit from experiences, destiny, tolerance, exhilaration, equanimity, objectivity, and other things. "According to Schaffer Soban: - "Ordinarily adjustment is a process in which both mental and practical responses are contained and it is through this that a person expresses lack, tension, etc. and brings harmony between these internal demands and external circumstances."

Review of literature:

Enoch and Roland (2006) studied 511 male and female university students in the first year, where they studied the relationship with the environment, the nature of gender, and social-level adjustment at university, the results show That women are more accommodating than men. Similar findings were found in another study conducted on the adjustment of students of higher secondary school in Durg district, and kept in mind that all these students are of the same age and intelligence. There is a significant difference in student adjustment and female students have a better adjustment level than male students (Chauhan, 2013).

Kaur (2012) conducted his study in 2012 examining adjustment problems related to the fields of achievement, gender and locality. Those who were upper secondary school students. The bodies were almost of the same age and intelligence. When studied, they found in the results that girls have more adjusting power than boys, there could be many reasons for girls to have tolerance Quality, emotional behavior, and etc. is higher than expected boys but does not affect local adjustment. Basu. (2012) conducted a study on secondary school adjustment and found that the adjustment of female school students is much better than male secondary school students.

Kuvila (2006) conducted his study on adolescent children from all rural areas and urban areas. He found that urban students are well adjusted compared to rural students in all areas, because environment, family status, level of education of students from urban area is much better than the students from rural area. Murthy (2016) found in a study that overall adjustment in private school students is higher than government school students.

Peerzada, N. (2013) designed a study to compare the adjustment of teachers related to science and social science subjects who were from upper secondary school and studied such as home adjustment, school adjustment, emotional adjustment etc. Such as in various fields and showed that social science teachers have more adjustment problems than science teachers.

As we have above seen there are several studies have been conducted on adjustment of higher secondary students. Gender is taken the main variable in most of them and a few studies have been observed in the field of residence area of the student like urban, rural, tribal etc. So there is a need of some fresh studies of adjustment differences among the student living in rural and urban arias.

The present study is designed to explore whether a significant difference between the adjustment ability in students living in rural and urban sessions. It is hypothesized that there would be found no significant differences between both the particular arias.

Method

Sample: To conduct the present study tow higher secondary government schools situated in different resident area were selected from Rajnandgaon district of Chhattisgarh state. The first resident area was rural and second was urban. 20-20 students of both the schools were

12 / A Comparative study of adjustment between Urban and Rural

taken randomly. All students of both the schools were boys and studying in the same standard class 10th.

Tools: We have used the adjustment test of AKP Sinha and AP Singh as a tool. It is an adjustment list that deals with school students, in which a total of 60 items have been given. Items were related to three areas, emotional, social, and educational. Students were instructed to explain that this form has been

given some questions related to your school, in front of which "Yes" and "No" are written. Read the question carefully and decide whether you want to answer any question by "yes" or "no". Remember that your answer will not be disclosed to any other person, so answer all the questions without any hesitation. Time is not restricted, yet tries to finish it as soon as possible.

Results and Discussion

Data was analyzed to use the t- test between the mean adjustment score of rural and urban students.

Table: - T-table for the mean of the scores of rural and urban students

Group	Number of students	Mean	SD	t	Level of Significance
Urban	20	15.8	1.69	7.5	Significant on 0.01
Rural	20	13.8	1.03		

df = 38, P<0.01 significant

Above table shows that mean adjustment score of urban students is 15.8, while rural students scored only 13.3. It clearly indicates that urban students have more adjustment ability than rural students. Standard deviation (SD) of urban and rural students is 1.69 and 1.03 respectively. t value is found 7.5 which significant on 0.01 level with the degree of freedom of 38. This states that students living in urban areas have significantly more ability to adjust than rural area resident students. Interactive social and family environment of urban area play an important role to make the urban student more able to adjust with diverse circumstances of life. Due to availability of electronic media and

resources of communication urban students are more comfortable to deal with the uncertainty of their daily life than rural students. Frequently participation of various social and formal activities build them extrovert. On the other hand all these characteristics are found relatively less in the students living in rural areas, such children are hesitant to meet others, and the level of education is also found to be relatively low. Kuwaila (2006) reported on his study conducted adolescent children of rural and urban areas that urban students are well adjusted compared to rural students in all areas of adjustment problems. This study approves the result of our present study.

A Comparative study of adjustment between Urban and Rural/ 13

References:

- Basu, S. (2012) "Adjustment of Secondary School Students", *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*, Vol, 1 no. 3, pp.430–38.
- Bhargava, M. (1971), "*Modern Psychological Testing & Measurement*" .A.P. Bhargav Book House Vol. No. pp.463–470.
- Chauhan, V. (2013), "A Study on Adjustment of Higher Secondary School Student," *Journal of Research and Method in Education*, Vol.1, No.1, pp.50-52
- .Enochs, W. K. R .and Catuerin, B. (2006), "Social Adjustment of Collage Freshman; the Impotance of Gender and Living Environmrnt.Collage Students Journal."
- Kaur, S. (2012), "A Study of Adjustment.of High School Students in Relation to their Achievement, Sex and Locality", *International Journal of Research in Eduction, Methodology Council for Innovative Research* Vol.1, No.2, pp. 18–21.
- .Kurvila, M. (2006), "Sex and Local Difference in Emotional Adjustment of Adolescents," *Journal of Community Guidance and Research*, Vol.23, No.3.pp.285-291.
- Peerzada, N. (2013), "Adjustment of Science and Social Science Higher Secondry School Teacher - Comparative Study", *Academ Arena* Vol.5, No. 2, pp. 34-38.
- Sharafat, R Murthy C.G.V. (2016), "A Comparative Study of Government and Private School Students on their Critical Thinking and Study Habits," *The International Journal of Indian Psychology*, Vol.3, Issue 4, No. 59, pp. 52- 60



Jurisprudential Dimension of Justice

* *Shreemanshu Kumar Dash*

Received
10 Dec. 2020

Reviewed
14 Dec. 2020

Accepted
18 Dec. 2020

Justice may be divided into four types i.e. commutative, distributive, legal, and social. Justice is a concept on ethics and law that means that people behave in a way that is fair, equal and balanced for everyone. In view of the Western Theories of Justice, it is one of the most important moral and political concepts. The word comes from the Latin jus, meaning right or law. Aristotle says justice consists in what is lawful and fair, with fairness involving equitable distributions and the correction of what is inequitable. Justice in a civil society is important because it makes life possible in our complex, civilized society. According to Plato, individually, justice is a 'human virtue' that makes a person self-consistent and good; socially, justice is a social consciousness that makes a society internally harmonious and good. Respect for the rule of law is an important requirement to safeguard justice in a democracy. It ensures that all decisions and actions of individuals are in line with a country's laws. It also ensures that people with power do not make decisions about our lives in an arbitrary and unpredictable manner, based on their personal hatred, prejudice or beliefs and not on what the law allows. The rule of law protects us by ensuring that laws apply equally to all of us; that those who exercise government power do so guided by the law and not by their own views, and that no one has absolute power over our lives. The rule of law can only function properly when courts act in an independent, fair, public and transparent manner. It is important that we citizens know our rights within the entire system of the rule of law, so we are able to uphold them, as well as detect failures and demand change. After all, countries where the rule of law is upheld vigorously are often also the countries with the highest national prosperity, peace, liberty and freedom from corruption, and last but not least justice. This paper addresses the distinct branches of thought in general jurisprudence.

Keywords: justice, law, theory, grundnorm, analytical, positivism, equitable, jurisprudence.

Law and society are just like the two sides of the same coin. Law is, in fact, a means to an end and not an end by itself. In view of the same, law is a means to justice where a state is ruled by law. It necessarily follows there from that proper implementation of law is giving it a right direction towards justice.

Philosophers of law ask "what is law, and what should it be?" Jurisprudence or legal theory is the theoretical study of law, principally by philosophers but, from the twentieth century, also by social scientists. Scholars of jurisprudence, also known as jurists or legal theorists, hope to obtain a deeper understanding of legal reason-

* *Assistant Prof. Kishorilal Shukla Low College, Rajnandgaon (C.G.)*

ing, legal systems, legal institutions, and the role of law in society.

Modern jurisprudence began of late in the 18th century and was focused on the first principles of natural law, civil law, and the law of nations. General jurisprudence can be divided into categories both by the type of query scholars hunt for response and by the theories of jurisprudence, or schools of thought, regarding how those questions are best answered. Contemporary philosophy of law, which deals with general jurisprudence, addresses problems internal to law and legal systems and problems of law as a social institution that relates to the larger political and social context in which it exists.

Ancient natural law is the ideology that there are rational objective limits to the power of legislative rulers. The basics of law are accessible through reason, and it is from these laws of nature that human laws gain whatever force they may have. Analytical jurisprudence (Clarificatory jurisprudence) rejects natural law's fusing of what law is and what it ought to be. It espouses the use of a neutral point of view and descriptive language when referring to aspects of legal systems. It encompasses such theories of jurisprudence as "legal positivism", which holds that there is no necessary connection between law and morality and that the force of law comes from basic social facts; and "legal realism", which argues that the real-world practice of law determines what law is, the law having the force that it does because of what legislators, lawyers, and judges do with it. Normative jurisprudence is concerned with "evaluative" theories of law. It deals with what the goal or purpose of law is, or what moral or political theories

provide a foundation for the law. It not only addresses the question "What is law", but also tries to determine what the proper function of law should be, or what sorts of acts should be subject to legal sanctions, and what sorts of punishment should be permissible.

The English word 'jurisprudence' is derived from the Latin maxim *jurisprudentia*. *Juris* is the genitive form of *jus* meaning law, and *prudentia* means prudence (also: discretion, foresight, forethought, circumspection). It refers to the exercise of good judgment, common sense, and caution, especially in the conduct of practical matters. The word first appeared in written English in 1628, at a time when the word *prudence* meant knowledge of, or skill in, a matter. It may have entered English via the French *jurisprudence*, which appeared earlier.

HISTORICAL PERSPECTIVE:

Ancient Indian jurisprudence is mentioned in various Dharmasastra texts, starting with the Dharmasutra of Bhodhayana. Jurisprudence in Ancient Rome had its origins with the (*periti*)—experts in the *jus mos maiorum* (traditional law), a body of oral laws and customs. Praetors established a working body of laws by judging whether or not singular cases were capable of being prosecuted either by the *edicta*, the annual pronouncement of prosecutable offense, or in extraordinary situations, additions made to the *edicta*. And *judex* would then prescribe a remedy according to the facts and circumstances of the case.

The sentences of the *Judex* were supposed to be simple interpretations of the traditional customs, but—apart from considering what traditional customs applied in

16 / Jurisprudential Dimension Of Justice

each case—soon developed a more equitable interpretation, coherently adapting the law to newer social exigencies. The law was then adjusted with evolving institutions (legal concepts), while remaining in the traditional mode. Praetors were replaced in the 3rd century BC by a laical body of prudentes. Admission to this body was subject to competence or experience.

Under the Roman Empire, schools of law were created, and practice of the law became more academic. From the early Roman Empire to the 3rd century, a relevant body of literature was produced by groups of scholars, including the Proculians and Sabinians. The scientific nature of the studies was unprecedented in ancient times.

After the 3rd century, *juris prudentia* became a more bureaucratic activity, with few notable authors. It was during the Eastern Roman Empire (5th century) that legal studies were once again undertaken in depth, and it is from this cultural movement that Justinian's *Corpus Juris Civilis* was born.

CONCEPT OF NATURAL LAW:

In its broad-spectrum, natural law theory may be compared to both state-of-nature law and general law understood on the basis of being equivalent to the laws of physical science. Natural law is often contrasted to positive law which asserts law as the product of human activity and human volition. Another approach to natural-law jurisprudence generally asserts that human law must be in response to compelling reasons for action. There are two readings of the natural-law jurisprudential stance. The Strong Natural Law Thesis holds that if a human law fails to be in response to compelling reasons, then it is not properly a "law" at all. This is cap-

tured, imperfectly, in the famous maxim: *lex injusta non est lex* (an unjust law is no law at all). The Weak Natural Law Thesis holds that if a human law fails to be in response to compelling reasons, then it can still be called a "law", but it must be recognised as a defective law.

Notions of an objective moral order, external to human legal systems, underlie natural law. What is right or wrong can vary according to the interests one is focused on. John Finnis, the most important of modern natural barristers, has argued that the maxim "an unjust law is no law at all" is a poor guide to the classical Thomist position. Strongly related to theories of natural law are classical theories of justice, beginning in the West with Plato's *Republic*.

CONTRIBUTION OF ARISTOTLE:

Aristotle who is said to be the father of natural law, like his philosophical forefathers Socrates and Plato, posited the existence of natural justice or natural right (Latin *jus naturale*). His association with natural law is largely due to how he was interpreted by Thomas Aquinas. This was based on Aquinas' conflation of natural law and natural right, the latter of which Aristotle posits in Book V of the *Nicomachean Ethics*. Aquinas's influence was such as to affect a number of early translations of these passages, though more recent translations provide them more literally.

Aristotle's theory of justice is bound up in his idea of the golden mean. Certainly, his treatment of what he calls "political justice" derives from his discussion of "the just" as a moral virtue derived as the mean between opposing vices, just like every other virtue he describes. His longest discussion of his theory

of justice occurs in Nicomachean Ethics and begins by asking what sort of mean a just act is. He argues that the term "justice" actually refers to two different but related ideas: general justice and particular justice. When a person's actions toward others are completely righteous in all matters, Aristotle calls them "just" in the sense of "general justice"; as such, this idea of justice is more or less coextensive with virtue. "Particular" or "partial justice", by contrast, is the part of "general justice" or the individual virtue that is concerned with treating others equitably.

Aristotle budes from this ill-equipped discussion of justice to a well-equipped view of political justice, by which he means something close to the subject of modern jurisprudence. Of political justice, Aristotle argues that it is partly derived from nature and partly a matter of convention. This can be taken as a statement that is similar to the views of modern natural law theorists. But it must also be remembered that Aristotle is describing a view of morality, not a system of law, and therefore his remarks as to nature are about the grounding of the morality enacted as law, not the laws themselves.

The best substantiation of Aristotle's having thought there was a natural law comes from the Rhetoric, where Aristotle notes that, aside from the "particular" laws that each people has set up for itself, there is a "common" law that is according to nature. The context of this remark, however, suggests only that Aristotle thought that it could be rhetorically advantageous to appeal to such a law, especially when the "particular" law of one's own city was adverse to the case being made, not that there actually was such a law. Aristotle, moreover, considered cer-

tain candidates for a universally valid, natural law to be wrong. Aristotle's theoretical paternity of the natural law tradition is consequently not clear-cut.

CONTRIBUTION OF THOMAS AQUINAS :

Thomas Aquinas was an Italian philosopher and theologian in the scholastic tradition, known as "Doctor Angelicus, Doctor Universalis". He is the foremost classical proponent of natural theology, and the father of the Thomistic school of philosophy, for a long time the primary philosophical approach of the Roman Catholic Church. The work for which he is best known is the *Summa Theologica*. One of the thirty-five Doctors of the Church, he is considered by many Catholics to be the Church's greatest theologian. Consequently, many institutions of learning have been named after him.

Thomas Aquinas was illustrious about four kinds of law: eternal, natural, divine, and human: Eternal law refers to divine reason, known only to God. It is God's plan for the universe. Man needs this plan, for without it he would totally lack direction. Natural law is the "participation" in the eternal law by rational human creatures, and is discovered by reason. Divine law is revealed in the scriptures and is God's positive law for mankind. Human law is supported by reason and enacted for the common good. Natural law, of course, is based on "first principles":

This is the first precept of the law that good is to be done and promoted, and evil is to be avoided. All other precepts of the natural law are founded on this idea. The desires to live and to procreate are counted by Aquinas among those basic (natural) human values on which all other human val-

18 / Jurisprudential Dimension Of Justice

ues are based.

SCHOOL OF SALAMANCA:

Francisco de Vitoria was conceivably the first to build up a premise of *jus gentium* (the rights of peoples), and thus is an important figure in the changeover to modernity. He extrapolated his ideas of legitimate sovereign power to international affairs, concluding that such affairs ought to be determined by forms respecting of the rights of all and that the common good of the world should have primacy over the good of any single state. This meant that relations between states ought to pass from being justified by force to being justified by law and justice. Some scholars have upset the standard account of the origins of International law, which emphasizes the seminal text *De jure belli ac pacis* by Grotius, and argued for Vitoria and, later, Suarez's importance as forerunners and, potentially, founders of the field. Others, such as Koskenniemi, have argued that none of these humanist and scholastic thinkers can be understood to have founded international law in the modern sense, instead placing its origins in the post-1870 period.

Francisco Suarez, regarded as among the greatest scholastics after Aquinas, subdivided the concept of *jus gentium*. Working with already well-formed categories, he carefully distinguished *jus inter gentes* from *jus intra gentes*. *Jus inter gentes* (which corresponds to modern international law) was something common to the majority of countries, although, being positive law, not natural law, it was not necessarily universal. On the other hand, *jus intra gentes*, or civil law, is specific to each nation.

THOMAS HOBBS:

Hobbes, in his composition, *Leviathan* (1651), communicates a perspective on characteristic law as a statute—or general principle, established on explanation—by which a man is illegal to do what is damaging to his life, to remove the methods for safeguarding the same, or to discard that by which he figures it might best be protected. Hobbes was a social contractarian and accepted that the law had peoples' implicit assent. He accepted that society was shaped from a condition of nature to shield individuals from the condition of war that would exist in any case. As per Hobbes, without an arranged society, life is, "solitary, poor, nasty, brutish and short". It is often said that Hobbes' perspectives on human instinct were affected by his times. The English Civil War and the Cromwellian tyranny had occurred; and, in responding to that, Hobbes felt that outright power vested in a ruler, whose subjects submitted to the law, was the premise of an enlightened society.

LON FULLER:

Composing after World War II, Lon L. Fuller safeguarded a common and procedural type of characteristic law. He stressed that the (natural) law should meet certain conventional prerequisites, (for example, being unbiased and openly comprehensible). To the degree that an institutional arrangement of social control misses the mark regarding these prerequisites, Fuller contended, we are less disposed to remember it as an arrangement of law, or to give it our regard. Consequently, the law should have an ethical quality that goes past the cultural guidelines under which laws are made.

JOHN FINNIS:

Refined positivist and natural law specu-

lations once in a while take after one another and may share specific focuses for all intents and purpose. Distinguishing a specific scholar as a positivist or a natural law scholar in some cases includes matters of accentuation and degree, and the specific effects on the scholar's work. The natural law scholars of the far off past, for example, Aquinas and John Locke saw no difference amongst analytic and normative jurisprudence, while present day natural law scholars, for example, John Finnis, who maintains to be positivists, actually contend that law is moral commonly. In his book *Natural Law and Natural Rights* (1980, 2011), he provides a reiteration of natural law doctrine.

ANALYTIC JURISPRUDENCE:

Analytic or "clarificatory", jurisprudence means taking an unbiased perspective and utilizing distinct language when alluding to different parts of overall sets of laws. This was a philosophical improvement that dismissed characteristic law's combining of what law is and what it should be. David Hume contended, in *A Treatise of Human Nature*, that individuals perpetually slip from portraying what the world is to attesting that we in this manner should follow a specific game-plan. Yet, as an issue of unadulterated rationale, one can't reason that we should accomplish something only in light of the fact that something is the situation. So breaking down and explaining the manner in which the world is to be treated as a carefully discrete inquiry from regularizing and evaluative inquiries of what should be finished.

The main inquiries of logical law are: "What are laws"; "What is the law"; "What

is the connection among law and force/sociology"; and "What is the connection among law and morality." Legal positivism is the predominant hypothesis, despite the fact that there is a developing number of critics who offer their own understandings.

HISTORICAL SCHOOL:

Historical jurisprudence came to conspicuousness during the discussion on the proposed codification of German law. In his book *On the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, Friedrich Carl von Savigny contended that Germany didn't have a lawful language that would uphold codification in light of the fact that the conventions, customs, and convictions of the German public did exclude a confidence in a code. Supporters of this thought advocate that law starts with society.

SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE:

A push of methodically to enlighten jurisprudence from sociological experiences created from the start of the 20th century, as sociology set up itself as an unmistakable social science, particularly in the United States and in mainland Europe. In Germany, crafted by the "free law" scholars (for example Ernst Fuchs, Hermann Kantorowicz, and Eugen Ehrlich) empowered the utilization of sociological experiences in the advancement of lawful and juristic hypothesis. The most globally compelling support for a "sociological law" happened in the United States, where, all through the initial half of the 20th century, Roscoe Pound, for a long time the Dean of Harvard Law School, utilized this term to portray his legal philosophy. In the United States, numerous later essayists took cues from Pound or created particular ways to deal with sociological

20 / Jurisprudential Dimension Of Justice

jurisprudence. In Australia, Julius Stone firmly safeguarded and built up Pound's thoughts. During the 1930s, a huge split between the sociological jurists and the American legal realists arose. In the latter half of the 20th century, sociological law as a particular development declined as jurisprudence came all the more emphatically affected by analytical legal philosophy; however with expanding criticism of predominant orientations of legal philosophy in English-speaking nations in the succeeding century, it has pulled in revitalized attention.

LEGAL POSITIVISM:

Positivism simply means that law is something that is "posited": laws are validly made in consonance with socially accepted rules. The positivist view of law can be seen to be based on two broad principles:

Firstly, that law may seek to enforce justice, morality, or any other normative end, but their success or failure to do so does not establish their legality. Provided a law is properly formed, in accordance with the rules recognized in the society concerned, it is a valid law, not considering whether it is just by some other standard. Secondly, that law is nothing more than a set of rules to provide order and governance of society. No legal positivist, however, argues that it follows that the law is therefore to be obeyed, no matter what. This is seen as a separate question entirely. What the law is (*lex lata*) - is determined by historical social practice (resulting in rules). What the law ought to be (*lex ferenda*) - is determined by moral considerations.

BENTHAM AND AUSTIN:

One of the earliest legal positivists was Jeremy Bentham. Along with Hume,

Bentham was an early and staunch supporter of the utilitarian notion, and was an enthusiastic prison reformer, advocate for democracy, and firm atheist. Bentham's analysis about law and jurisprudence were popularized by his student John Austin. Austin was the first chair of law at the new University of London, from 1829. Austin's utilitarian answer to "what is law" was that law is "commands, backed by sanctions, from a sovereign, to whom people have a habit of obedience". Contemporary legal positivists, H. L. A. Hart particularly, have long discarded this view, and have criticized its generalization.

Hans Kelsen:

Hans Kelsen is considered one of the outstanding jurists of the 20th century and has been highly influential in Europe and Latin America, even though less so in common-law countries. His *Pure Theory of Law* describes law as "binding norms", while at the same time refusing to evaluate those norms. That is, "legal science" is to be separated from "legal politics". Central to the *Pure Theory of Law* is the concept of a "basic norm" (*Grundnorm*)—an imaginary norm, presupposed by the jurist, from which all "lower" norms in the pecking order of a legal system, beginning with constitutional law, are understood to derive their authority or the extent to which they are binding. Kelsen maintains that the degree to which legal norms are binding, their specifically "legal" character, can be understood without tracing it ultimately to some suprahuman source such as God, personified Nature or—of great importance in his time—an embodied State or Nation.

H. L. A. Hart:

In the English-speaking world, a key writer was H. L. A. Hart, professor of jurisprudence at Oxford University, who argued that the law should be understood as a system of social rules. Hart rejected Kelsen's views that sanctions were essential to law and that a normative social phenomenon, like law, cannot be grounded in non-normative social facts. Hart revived analytical jurisprudence as an important theoretical debate in the twentieth century, through his book *The Concept of Law*.

Rules, said Hart, are divided into primary rules (rules of conduct) and secondary rules (rules addressed to officials who administer primary rules). Secondary rules are divided into rules of adjudication (how to resolve legal disputes), rules of change (how laws are amended), and the rule of recognition (how laws are identified as valid). The "rule of recognition" is a usual practice of officials (especially barristers and judges) who categorize certain acts and decisions as sources of law. In 1981, Neil MacCormick wrote a crucial book on Hart (second edition published in 2008), which further refined and offered some important criticisms that led MacCormick to expand his own theory (example is his *Institutions of Law*, 2007). Other important critiques include those of Ronald Dworkin, John Finnis, and **Joseph Raz:**

In recent years, debates on the nature of law have become increasingly fine-grained. One important deliberation is within legal positivism. One school is sometimes called "exclusive legal positivism" and is connected with the view that the legal validity of a norm can never depend on its moral correctness. A second school is labeled "in-

clusive legal positivism", a major proponent of which is Wil Waluchow, and is associated with the view that moral considerations may, but do not necessarily, determine the legal validity of a norm.

UTILITARIANISM:

Utilitarianism is the view that the laws should be crafted so as to produce the best consequences for the greatest number of people. Historically, utilitarian thinking about law has been associated with the philosopher Jeremy Bentham. John Stuart Mill was a pupil of Bentham's and was the forerunner of utilitarian philosophy throughout the late nineteenth century. In contemporary legal theory, the utilitarian approach is frequently championed by scholars who work in the law and economics tradition.

JOHN RAWLS:

John Rawls was an American philosopher; a professor of political philosophy at Harvard University; and author of "A Theory of Justice" (1971), "Political Liberalism", "Justice as Fairness: A Restatement", and "The Law of Peoples". He is widely considered one of the most important English-language political philosophers of the 20th century. His theory of justice uses a method called "original position" to ask us which principles of justice we would choose to regulate the basic institutions of our society if we were behind a "veil of ignorance". Imagine we do not know who we are—our race, sex, wealth, status, class, or any distinguishing feature—so that we would not be biased in our own favour. Rawls argued from this "original position" that we would choose exactly the same political liberties for everyone, like freedom of speech, the right to vote, and so on. Also, we would choose a sys-

22 / Jurisprudential Dimension Of Justice

tem where there is only inequality because that produces incentives enough for the economic well-being of all society, especially the poorest. This is Rawls's famous "difference principle". Justice is fairness, in the sense that the fairness of the original position of choice guarantees the fairness of the principles preferred in that position. He emphasized on how justice could be politically achieved and dreams of a society of free citizens holding equal basic rights and collaborating within an egalitarian economic system.

CONCLUSION:

Legal profession is said to be a noble profession for one of the reasons that people working in this field are participatory in determining the rights and duties of people towards doing justice which virtually is the task of almighty. Law made by men for men cannot do absolute justice for the simple reason that nothing could be absolute in the material world. Law can at best do procedural justice. But law, may be

substantive or procedural, does have an objective of its own. It is always constructive and never destructive. But the poor fellows who have been running the system assume the dead letters of law as everything of law without allowing the ability to come to their mind and spirit to discern the objective to do their respective duties religiously. In countries like India, laws are obeyed but vitiated are the objectives. Laws are obeyed not for the sake of justice but as if law were the end by itself. The law-makers are the worst law breakers. The bureaucrats take for granted their legal duty as their moral ones and creating a situation thereby for common people for whom justice always as a thing remains a will o' the wisp. To conclude in the words of Alladi Kuppaswamy, "If the parliamentary system has not functioned satisfactorily, it is not due to any defect in the system but due to the incompetence or inefficiency of those who have been running the system."

Reference:

1. Dr. N. V. Paranjape – "Studies in Jurisprudence & Legal Theory"
2. Prof. [Mrs.] Nomita Aggarwal – "Jurisprudence (Legal Theory)"
3. V. D. Mahajan – "Jurisprudence and Legal Theory"
4. P.S.A. Pillai – "Jurisprudence and Legal Theory"
5. Salmond - On Jurisprudence, 12th Edn. Indian Economy Reprint (2010)
6. Dias Jurisprudence (2013)
7. www.google.com
8. www.civicsacademy.co.za/video/justice/
9. <https://www.iep.utm.edu/justwest>
10. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/justice>
11. www.businessdictionary.com/definition/justice.html
12. <https://en.wikipedia.org/wiki/Justice>
13. <https://www.iep.utm.edu/justwest/>
14. www.newworldencyclopedia.org/entry/Justice
15. <https://www.jstor.org/stable/pdf/1327078.pdf>
16. www.scribd.com/doc/23041149/Jurisprudence
17. <https://books.google.co.in/books?isbn=1859416233>
18. <https://books.google.co.in/books?isbn=0198253885>



व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति का अध्ययन

* रोली तिवारी

** चित्रलेखा वर्मा

Received
18 Oct. 2020

Reviewed
20 Oct. 2020

Accepted
30 Oct. 2020

प्रस्तुत अध्ययन में "व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति का अध्ययन छात्राध्यापकों के विशेष संदर्भ में" किया गया। कुल 200 छात्राध्यापकों (100 पुरुष छात्राध्यापक एवं 100 महिला छात्राध्यापिकाओं) का चयन सोदेश्य न्यादर्श विधि द्वारा किया गया। शोध उपकरण के रूप में आकड़ें संग्रहण करने के लिये स्मार्टफोन में प्रयुक्त व्हाट्सएप मैसेंजर के माध्यम से स्क्रीनशॉट, छवि (इमेज) प्रक्रिया को लिया गया। सांख्यिकी विश्लेषण हेतु प्रतिशत द्वारा परिकल्पनाओं की सार्थकता की जांच की गयी। निष्कर्ष में यह पाया गया कि छात्राध्यापकों द्वारा शैक्षणिक जानकारियाँ सर्वाधिक रूप से छवि (इमेज) के माध्यम से साझा की जाती हैं। आकड़ों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण भी किया गया।

शब्द कुंजी : व्हाट्सएप, शैक्षणिक जानकारी, छात्राध्यापक और स्क्रीनशॉट प्रक्रिया।

प्रस्तावना : वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न तकनीकी साधनों के माध्यम से अपनी दिनचर्या को सरलीकृत कर रहा है। इसी श्रृंखला का अभिन्न अंग स्मार्टफोन तथा व्हाट्सएप मैसेंजर एप्लीकेशन का उपयोग करना है। व्हाट्सएप स्मार्ट फोनों पर चलने वाली एक प्रसिद्ध तत्क्षण मैसेजिंग सेवा है, इसकी सहायता से इंटरनेट के द्वारा दूसरे व्हाट्सएप उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर टेक्स्ट संदेश के अलावा आडियो, छवि, वीडियो तथा अपनी स्थिति (लोकेशन) भी भेजी जा सकती हैं। 4 सितम्बर 2015, आज तक न्यूज ने एक शोध द्वारा बताया कि - व्हाट्सएप पर 90 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ यह विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय तत्क्षण मैसेंजर है। भारत में फरवरी 2017 में, व्हाट्सएप पर 200 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे तथा 2018 में

अनुमानित सक्रिय व्हाट्सएप उपयोगकर्ता की संख्या 250-300 मिलियन हो गई थी। इसी प्रकार 18 नवम्बर 2019 में यह संख्या 400 मिलियन हो गयी। पूरे भारत में व्हाट्सएप का उपयोग छात्रों द्वारा अर्थात् अधिक रूप से किया जा रहा है, जिसमें 82% छात्र व्हाट्सएप के सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। व्हाट्सएप को 2009 में याहू कम्पनी में काम करने वाले दो कर्मचारियों 'बरीन एकटन' और 'जान कूम' ने मिलकर बनाया था।

बंसल एवं जोशी. (2014). इस अध्ययन का शीर्षक है "व्हाट्सएप मोबाईल सीखने वाले छात्रों के अनुभवों का एक अध्ययन" इस अध्ययन का उद्देश्य बी.एड. के छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य व्हाट्सएप गुप बनाकर शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के दौरान एक-दूसरे से बातचीत के द्वारा सामाजिक अंतर क्रियाशीलता में

* सहायक प्राध्यापक अध्यापक शिक्षा संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

** एम.एड. (प्रशिक्षार्थी) अध्यापक शिक्षा संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

24 / व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति.....

व्हाट्सएप के उपयोग की जांच करना था। नमूने के रूप में कुल 10 छात्रों को लिया गया। शोधकर्ता ने उपकरण के रूप में साक्षात्कार प्रश्नावली का उपयोग किया। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं, कि छात्र व्हाट्सएप के माध्यम से सीखने को बहुत ही रोचक व शैक्षिक रूप से उपयोगी मानते हैं। उन्होंने पाया कि छात्र, शिक्षक के साथ सामाजिक अंतर क्रियाशीलता में सहयोगात्मक रूप से अधिक वृद्धि हुई है। व्हाट्सएप मीटर लर्निंग के प्रति छात्रों का रवैया अनुकूल था। केंचाकन्वर, एवं हदागली, (2015). इस अध्ययन का शीर्षक है "कर्नाटक विश्वविद्यालय धवदः एक अध्ययन के विद्वानों के बीच व्हाट्सएप का उपयोग" इस अध्ययन का उद्देश्य कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, कर्नाटक राज्य के सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विद्वानों द्वारा व्हाट्सएप के उपयोग की जांच करना था। नमूने के रूप में कुल 145 छात्रों को लिया गया, और प्रश्नावली के द्वारा आंकड़े प्राप्त किये गये। इस अध्ययन के परिणामों से पता चलता है, कि 91.36% उत्तरदाताओं को फेसबुक के बारे में पता है, इसके बाद गूगल+ और यू-ट्यूब तथा अनुसंधान विद्वान व्हाट्सएप का उपयोग शैक्षणिक अनुसंधान उद्देश्य के लिये भी कर रहे हैं। केटिकाया एल (2017), इस अध्ययन का शीर्षक "व्हाट्सएप का प्रभाव" शिक्षा प्रक्रिया के सफलता पर पड़ता है।" इस अध्ययन का उद्देश्य शिक्षा के लिये व्हाट्सएप उपयोग के प्रभावों का पता लगाना और प्रक्रिया के प्रति छात्रों की राय निर्धारित करना है। इस अध्ययन में नमूने के रूप में प्रयोगात्मक समूह के (35 छात्रों) और नियंत्रण समूह के (35 छात्रों) को लिया गया। शोधकर्ता ने उपकरण के रूप में अर्द्ध प्रयोगिक डिजाईन का उपयोग किया और मिश्रित माप के लिये दो कारक विचरण विश्लेषण द्वारा आकड़ों का विश्लेषण किया गया था। इस अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि छात्रों ने अपने पाठ्यक्रमों में व्हाट्सएप के उपयोग के प्रति सकारात्मक राय विकसित की है। छात्रों ने बताया कि छवियों के साथ संदेश उनके सीखने के लिये अधिक प्रभावी थे। नुरा, (2017). इस अध्ययन का शीर्षक है "सामान्य

अध्ययन में अकादमिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव को प्रभावित करने वाले स्नातक छात्रों में सीखने का विस्तार करने के लिये व्हाट्सएप का उपयोग करना" इस अध्ययन का उद्देश्य स्नातक छात्रों के डिजिटल जीवन में सीखने के विस्तार में व्हाट्सएप के प्रभाव की जांच करना था। इस अध्ययन में शोध अभिकल्प के रूप में 2-2 फ़ैक्टोरियल गैर समतुल्य, गैर यादृच्छिक समूहों के साथ क्वासी प्रयोगात्मक डिजाइन को अपनाया गया था। शोधकर्ता ने नमूने के रूप में 200 स्नातक विद्यार्थियों का चयन किया था। निष्कर्षतः व्हाट्सएप अध्ययन करने के लिये डिजिटल रूप से छात्रों के लिये सबसे अच्छा है, और पारंपरिक कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के लिये सोशल मीडिया को शामिल करने का भी प्रयास करना चाहिये। गुटर, (2018). इस अध्ययन का शीर्षक है "शिक्षक शिक्षा के लिये मोबाईल ऐप : व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत में सामाजिक, संज्ञानात्मक और शिक्षण उपस्थिति को इंडेंट करना" इस अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों के मोबाईल सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देने के क्षमता का विकास करना था। शोधकर्ता ने नमूने के रूप में 40 प्रतिभागियों को लिया तथा शोधकर्ता के द्वारा उपकरण के रूप में मिश्रित पद्धति का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष के रूप में यह ज्ञात हुआ कि व्हाट्सएप एवं अन्य ऐप्लिकेशन मध्यस्थाता संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केलिन, (2018). इस अध्ययन का शीर्षक है "मोबाईल इस्टेट मैसेजिंग एमआईएम के शैक्षिक प्रभाव : उच्च शिक्षा में उपयोग किये गये व्हाट्सएप के परिणाम के रूप में" इस अध्ययन का उद्देश्य व्हाट्सएप के उपयोग के ठोस अनुभव का एक मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करना था, जिसमें 140 स्नातक के प्रबंधन के छात्रों को शामिल किया गया था, इस अध्ययन में प्रश्नावली के द्वारा प्रतिभागियों से उत्तर प्राप्त किये गये थे। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप एमआईएम के पांच मुख्य शैक्षिक प्रभावों को बताया गया— अंतर क्रियाशीलता, साझाकरण, ज्ञान, उपस्थिति की भावना, सहयोग और सर्वव्यापकता यह अध्ययन उपकरण की सीमाओं की भी पड़ताल करता है और शिक्षण

और सीखने के लिये एमआईएम उपयोग की अच्छी प्रयासों के सुझाव प्रदान करता है। शोरनाम, ए (2018), इस अध्ययन का शीर्षक "व्हाट्सएप के उपयोग के प्रति कालेज ऑफ एक्सीलेस के छात्रों की धारणा का अध्ययन।" इस अध्ययन का उद्देश्य व्हाट्सएप अध्ययन के प्रति छात्रों की धारणाओं को जानना है। नमूने के रूप में कुल 100 छात्रों को लिया गया। इस अध्ययन में उपकरण के रूप में प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। इस अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि व्हाट्सएप शिक्षा में आसान, मजेदार और उपयोगी हैं। प्रतिभागियों ने व्हाट्सएप के उपयोग के बारे में सकारात्मक भावनाएं व्यक्त की। चिमान्गो, एन. (2019), इस अध्ययन का शीर्षक "सीखने में व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय के छात्रों को समझने के लिये नियोजित व्यवहार के विघटित सिद्धान्त का उपयोग करना।" इस अध्ययन का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के छात्रों और मलावी के मुजू विश्वविद्यालय में बी.एड. के छात्रों द्वारा व्हाट्सएप प्रौद्योगिकी के उपयोग की जांच करना है। नमूने के रूप में कुल 51 छात्रों को लिया गया। शोधकर्ता ने उपकरण के रूप में अर्द्ध संरचित साक्षात्कार के साथ प्रश्नावली का उपयोग किया। इस अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि अधिकांश लोग शैक्षणिक जानकारी साझा करने, साथी छात्रों और व्याख्यताओं के साथ संवाद करने और सहयोगी शिक्षण गतिविधियों का संचालन करने सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा करने के लिये व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं।

व्हाट्सएप का अन्तर्निहित उद्देश्य संचार को सुविधाजनक बनाता है और अपने सबसे बुनियादी स्तर पर शिक्षा कुछ भी नहीं है लेकिन संचार व्हाट्सएप का एक ऐसा चैनल प्रदान कर सकता है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों के साथ तेजी से और अधिक सहज संचार प्राप्त कर सकते हैं। यह छात्रों के बीच संचार के स्तर को भी बढ़ा सकता है और व्हाट्सएप के लिये शिक्षा रणनीतियां सीखने के लिये एक और स्थल बना सकता है। व्हाट्सएप द्वारा साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की

प्रकृति इस प्रकार हैं : 1) ग्रुप लर्निंग का उपयोग और समूह में अध्ययन करना। 2) शिक्षण से सम्बन्धित ऑडियो सीधे छात्रों को भेजे जा सकते हैं। 3) कक्षा में अनुपस्थित छात्र को आसाइनमेंट भेजना। 4) छात्रों को वीडियो भेजना। 5) छात्रों को चित्र या चार्ट भेजना। 6) माता-पिता के फोन पर सीधे रिपोर्ट कार्ड भेजना। 7) छात्रों और शिक्षकों के बीच वास्तविक समय के संचार को सुगम बनाना। 8) शिक्षकों और अभिभावकों के बीच वास्तविक समय के संचार को सुगम बनाना। 9) संदेह स्पष्ट करने के लिये शिक्षकों से बातचीत करना। 10) पाठ्यक्रम संचार से सम्बन्धित सूचनायें भेजना। 11) व्हाट्सएप के द्वारा छात्रों का आपस में सवालों तथा जवाबों का आदान-प्रदान करना। 12) व्हाट्सएप के द्वारा ऑनलाईन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों से क्विज एवं छोटी दैनिक चुनौतियों को साझा किया जाता है। 13) शिक्षा संस्थानों में आवेदन की स्थिति जानना, तत्काल जानकारी प्राप्त करना तथा आवश्यक होने पर आमने-सामने साक्षात्कार का समय निर्धारित करना। छात्राध्यापक : प्रशिक्षार्थी छात्राध्यापक से तात्पर्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित बी. एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षार्थियों से हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना :

छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति में अंतर पाया जायेगा।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण अभिकल्प विधि का प्रयोग किया गया।

जनसंख्या : प्रस्तुत शोध के लिये रायपुर शहर में स्थित शासकीय तथा अशासकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्राध्यापकों (पुरुष एवं महिला) का चयन किया गया।

न्यादर्श : प्रस्तुत शोध में रायपुर शहर के शासकीय तथा अशासकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं

26 / व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति.....

से 200 (100 महिला एवं 100 पुरुष) छात्राध्यापकों का चयन "सोद्देश्य न्यादर्श विधि" द्वारा किया गया, जिसमें 100 छात्राध्यापको (50 छात्राध्यापक एवं 50 छात्राध्यापिकाओं) का चयन, शासकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों तथा 100 छात्राध्यापको (50 छात्राध्यापक एवं 50 छात्राध्यापिकाओं) का चयन, अशासकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से किया गया।

उपकरण :

स्मार्टफोन में प्रयुक्त व्हाट्सएप मैसेंजर के माध्यम से स्क्रीनशॉट प्रक्रिया- प्रस्तुत अध्ययन में शोध प्रविधि के अन्तर्गत- स्मार्टफोन में प्रयुक्त व्हाट्सएप मैसेंजर के माध्यम से साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियां जो छात्र-छात्राओं द्वारा प्रयोग की जाती हैं, को लिया गया। आकड़ें संग्रहण करने के लिये स्क्रीनशॉट प्रक्रिया को लिया गया।

प्रक्रिया : शोध अध्ययन हेतु प्रदत्तों के संकलन के लिये कुल 5, शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में जाकर 200 न्यादर्श (प्रशिक्षणरत छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं) से निर्देश के साथ

अन्तक्रिया की गयी। जिसमें 100 पुरुष एवं 100 महिला थी, जिनकी औसत आयु 27 वर्ष हैं, जिनमें पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 26 वर्ष पायी गई। सहपाठियों के व्हाट्सएप समूह के मध्य शैक्षणिक जानकारियों को साझा करने के सम्बन्ध में या दी गई जानकारियों का स्क्रीनशॉट को डाटा के रूप में संकलित किया गया, चूंकि यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्राध्यापकों द्वारा प्राथमिक आकड़ों के रूप में एकत्र की गयी हैं, अतः प्राप्त आकड़ें विश्वसनीय हैं। इसी तरह प्राप्त आकड़ें सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त किये गये हैं, जो ऑनलाईन में इसी माध्यम से कभी भी पुनः प्राप्त किये जा सकते हैं अतः यह वैध हैं।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

परिकल्पना : छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति में अंतर पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक : 1


छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की गयी शैक्षणिक जानकारियों की प्राप्तांकों की संख्या एवं प्रतिशत

छात्राध्यापक						
फीचर्स	कुल	प्रतिशत में (%)	शैक्षणिक प्राप्तांक	शैक्षणिकप्राप्त. अंक (%)	गैर-शैक्षणिक प्राप्तांक	गैर-शैक्षणिक प्राप्तांक (%)
ऑडियो	42	3	28	2	14	4
छवि(इमेज)	611	37	552	42	59	18
लिंक	104	6	88	7	16	5
डाक्यूमेन्ट्स	282	17	248	19	34	10
टेक्स्ट मैसेज	534	33	345	26	189	57
वीडियो	68	4	50	4	18	6
कुल	1641	100	1311	100	330	100

व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति...../ 27

चार्ट क्रमांक : 1

छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की गयी जानकारियों का प्रतिशत चार्ट



सारणी क्रमांक : 2



छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की गयी शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक जानकारियों की प्रतिशत

फीचर्स	शैक्षणिक प्राप्तांक (%)	फीचर्स	गैरशैक्षणिक प्राप्तांक (%)
ऑडियो	2	ऑडियो	4
छवि(इमेज)	42	छवि (इमेज)	18
लिंक	7	लिंक	5
डाक्यूमेन्ट्स	19	डाक्यूमेन्ट्स	10
टेक्स्ट मैसेज	26	टेक्स्ट मैसेज	57
वीडियो	4	वीडियो	6
कुल	100	कुल	100

28 / व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति.....

चार्ट क्रमांक : 2

छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की गयी शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक जानकारियों की चार्ट



परिणाम की व्याख्या :

उपरोक्त सारणी 1 से स्पष्ट हैं, कि छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली जानकारियों में कुल 200 पुरुष छात्राध्यापकों से व्हाट्सएप मैसेजिंग के छः फीचर्स/क्षेत्र/आयाम (आडियो, छवि, लिंक, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट मैसेज एवं वीडियो) से आंकड़ें प्राप्त कर प्रतिशत निकाला गया एवं उसका पाई चार्ट के माध्यम से विश्लेषण किया गया।

200 छात्राध्यापकों ने कुल (1641) जानकारियों में से (42) जानकारियाँ (3%) आडियो के माध्यम से साझा किये।

200 छात्राध्यापकों ने कुल (1641) जानकारियों में से (611) जानकारियाँ (38%) छवि (इमेज) के माध्यम से साझा की गयी।

200 छात्राध्यापकों ने कुल (1641) जानकारियों में से (104) जानकारियाँ (7%) लिंक के माध्यम से साझा किये।

200 छात्राध्यापकों ने कुल (1641) जानकारियों में से (282) जानकारियाँ (18%) डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से साझा किये।

200 छात्राध्यापकों ने कुल (1641) जानकारियों में से (534) जानकारियाँ (33%) टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से साझा किये।

200 छात्राध्यापकों ने कुल (1641) जानकारियों में से (68) जानकारियाँ (5%) वीडियो के माध्यम से साझा किये।

सारणी क्रमांक 2 की परिणाम की व्याख्या :

उपरोक्त सारणी 2 से स्पष्ट हैं, कि छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की गयी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक जानकारियों का, सारणी एवं पाई चार्ट के माध्यम से विश्लेषण किया गया और पाया कि शैक्षणिक जानकारियों में कुल छः फीचर्स/आयाम/क्षेत्र से कुल (1311) जानकारियाँ एवं गैर-शैक्षणिक से कुल (330) जानकारियाँ साझा की गयी।

इन छः फीचर्स/आयामों में प्रथम आयाम आडियो से शैक्षणिक जानकारी कुल (1311) जानकारियों के 28 (2%) साझा की गयी, वही गैर शैक्षणिक जानकारी से आडियो में कुल (330) जानकारियों का 14 (4%) जानकारी साझा की गयी। इसी प्रकार दूसरा आयाम छवि का कुल शैक्षणिक जानकारी का 552 (42%) एवं कुल गैर-शैक्षणिक जानकारी का 59 (18%) साझा की गयी। तीसरा आयाम लिंक का कुल शैक्षणिक जानकारी का 88 (7%) एवं कुल गैर-शैक्षणिक जानकारी का 16(5%) साझा की गयी। चौथा आयाम डॉक्यूमेंट्स का कुल शैक्षणिक जानकारी का 248 (19%) एवं गैर शैक्षणिक जानकारी से 34 (10%) दस्तावेज साझा की गयी। पांचवाँ आयाम टेक्स्ट मैसेज का कुल शैक्षणिक जानकारी से 345 (26%) एवं कुल गैर-शैक्षणिक जानकारी से 189(57%) साझा की गयी। छठवाँ आयाम वीडियो का कुल शैक्षणिक जानकारी में से 50 (4%) एवं कुल गैर-शैक्षणिक जानकारी में से 18 (6%) साझा की गयी।

व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति..... / 29

उपरोक्त सारणी एवं चार्ट के विश्लेषण से स्पष्ट है, कि छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की गयी शैक्षणिक जानकारियों में सर्वाधिक (42%) छवि (इमेज) हैं, एवं न्यूनतम (2%) आडियो के माध्यम से जानकारियाँ साझा की गयी। गैर-शैक्षणिक जानकारियों में सर्वाधिक (57%) टेक्स्ट मैसेज एवं सबसे कम (4%) आडियो के माध्यम से जानकारियाँ साझा की गयी।

विवेचना : प्रस्तुत लघुशोध में व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति का अध्ययन: छात्राध्यापकों के विशेष संदर्भ में किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की गयी जानकारियों में अंतर पाया गया, इसका कारण यह है, कि छात्राध्यापकों द्वारा शैक्षणिक जानकारियाँ सर्वाधिक रूप से छवि (इमेज) के माध्यम से साझा की गयी, क्योंकि छात्राध्यापक मानते हैं, कि छवियों (इमेज) के साथ जानकारियाँ साझा करना शैक्षिक रूप से उपयोगी हैं और साथ ही साथ सीखने व

समझने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। केटिनकाया एल. (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि छात्रों ने पाठ्यक्रम में व्हाट्सएप के उपयोग के प्रति सकारात्मक राय विकसित की हैं। छात्रों ने बताया कि छवियों के साथ संदेश उनके सीखने के लिये अधिक प्रभावी थे, अतः हमारे लघु शोध की परिकल्पना क्रमांक-1 के निष्कर्ष एवं केटिनकाया एल. (2017) के निष्कर्ष में समानता है।

उपरोक्त सारणी 1 में आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है, कि छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर सर्वाधिक रूप में छवि (37%) द्वारा जानकारियाँ साझा की गई हैं, इसके पश्चात् टेक्स्ट मैसेज (32%), डॉक्यूमेंट्स (17%), लिंक (6%), वीडियो (4%) तथा सबसे कम ऑडियो (3%) द्वारा जानकारियाँ साझा की गयी अर्थात् शैक्षणिक जानकारियों को साझा करने की प्रकृति में अंतर पाया गया।

निष्कर्ष : निष्कर्ष में पाया गया कि छात्राध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति में अंतर है।

संदर्भ :

- अस्थाना, विपिन, (2009), *शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी*, विनोद पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ क्र.1, 3.
- बंसल, टी., एवं जोशी, डी., (2014). व्हाट्सएप मोबाईल सीखने वाले छात्रों के अनुभवों का एक अध्ययन; *ग्लोबल जनरल ऑफ वूमन सोशल साइंस रिसर्च*, 14, 4, 11.
- चिन्मागो, एन., (2019). सीखने में व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय के छात्रों को समझने के लिये नियोजित व्यवहार के विघटित सिद्धान्त का उपयोग करना, *ई-लर्निंग और डिजिटल मीडिया*, 2042753019835906.
- गुटर, जी., (2018). शिक्षक शिक्षा के लिये मोबाईल ऐप : व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत में सामाजिक, संज्ञानात्मक और शिक्षण उपस्थिति को इंडेंट करना, *एडमीडिया + इनोवेट लर्निंग*, 6 (11), 200-205.
- केलिन, जे. ए., (2018). मोबाईल इस्टेट मैसेजिंग एमआईएम के शैक्षिक प्रभाव : उच्च शिक्षा में उपयोग किये गये व्हाट्सएप के परिणाम के रूप में, *इंटरनेशनल जनरल ऑफ डिस्टेन्स एजुकेशन टेक्नोलॉजिस*, 16 (2) 51-64.
- केंचाकन्वर, वाय. ए., एवं हदागली, एस. जी., (2015). कर्नाटक विश्वविद्यालय धवदः एक अध्ययन के विद्वानों के बीच व्हाट्सएप का उपयोग, *इंटरनेशनल रिसर्च: जनरल ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफॉर्मेशन साइंस*, 5(3), 548-561.
- केटिनकाया, एल., (2017). व्हाट्सएप का प्रभाव शिक्षा प्रक्रिया के सफलता पर पड़ता है, *द इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ रिसर्च इन ओपन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग*, 18 (7), 32-45.

30 / व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली शैक्षणिक जानकारियों की प्रकृति.....

लॉवेंथल, पी. आर., और विल्सन, बी.जी., (2010). लेबील डू मैटर्स, एईसीटी के रिडिफिनेशन आफ द फील्ड की आलोचना *टेकट्रेड्स*, 54 (1), 38–46. क्वस रू 10^प 10075 11528.009.0362.

नुरा, बी., (2017). सामान्य अध्ययन में अकादमिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव को प्रभावित करने वाले स्नातक छात्रों में सीखने का विस्तार करने के लिये व्हाट्सएप का उपयोग करना, *एटीबीयू जनरल्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एण्ड एजुकेशन*, 4 (3), 64–71.

शोरनाम, ए., (2018). व्हाट्सएप के उपयोग के प्रति कॉलेज ऑफ एक्सीलेस के छात्रों धारणा का अध्ययन, *इंडियन जनरल ऑफ सोर्स एण्ड सर्विस*, 8 (1), 73–78.



जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रभाव (बैतूल-छिन्दवाड़ा पठार के विशेष सन्दर्भ में)

*अजय कुमार राय

Received
02 Nov. 2020

Reviewed
08 Nov. 2020

Accepted
15 Nov. 2020

जनजातीय पारिस्थितिकी में वन, कृषि में संलग्नता, आवास, रहन-सहन का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। सामान्यतः धरातलीय पारिस्थितिकी को वनस्पति आवरण के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि यदि किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक है और यदि उसकी वृद्धि की गति भी तीव्र है तो वहां पर अवस्थानात्मक सुविधाओं के निर्माण के परिणास्वरूप तथा विकासात्मक गतिविधियों के कारण विद्यमान संसाधनों पर दबाव निरंतर बढ़ता ही जाता है, प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी आदिवासी एवं वन बाहुल्य क्षेत्र बैतूल-छिन्दवाड़ा पठार में जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थितिकी तंत्र के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयास किया है। अध्ययन हेतु बैतूल-छिन्दवाड़ा पठार का चयन किया गया है जो कि आदिवासी बाहुल्य व वनीय प्रधान क्षेत्र है। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य है- अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का ऑकलन एवं वनीय संसाधनों के दोहन के परिणामस्वरूप बदलता पारिस्थितिकी तंत्र एवं आदिवासी संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। वर्षा के जल का नियमन, ताप, उष्णता तथा वाष्पोत्सर्जन एवं हवा के वेग आदि को नियंत्रित करने में वन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों के विनाश से ऐसा दुश्चक्र चलता है कि धीरे-धीरे वनस्पति आच्छादन समाप्त होता जाता है, मृदा क्षय बढ़ता है और अन्ततः भौतिक पर्यावरण एवं जलवायु में परिवर्तन होते हैं। इस समग्र परिप्रेक्ष्य में वनों की बहुआयामी भूमिका को देखते हुए वन विनाश को रोकने की दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए।

पारिस्थितिकी में हम भूमि, वनस्पति, प्राणी, जलवायु, जल, और सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित कर पूरे पर्यावरणीय अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं, किन्तु जनजातीय पारिस्थितिकी में वन, कृषि में संलग्नता, आवास, रहन-सहन का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। सामान्यतः धरातलीय पारिस्थितिकी को वनस्पति आवरण के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में

वनस्पति किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण घटक होती है।

अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि यदि किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक है और यदि उसकी वृद्धि की गति भी तीव्र है तो वहां पर अवस्थानात्मक सुविधाओं के निर्माण के परिणास्वरूप तथा विकासात्मक गतिविधियों के कारण विद्यमान संसाधनों पर दबाव निरंतर बढ़ता ही जाता है, जैसे-ऊर्जा

* सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, शासकीय महाविद्यालय छपारा, जिला सिवनी (मध्यप्रदेश)

32 / जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थिति.....


और ईंधन उपयोग, औद्योगिक कारखानों की स्थापना परिवहन, व्यापार इत्यादि के कारण पर्यावरण ह्रास होता है। नेगी (1990)¹ ने जनसंख्या के दबाव तथा विभिन्न तकनीकी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बदलते हुए पर्यावरण पर प्रकाश डाला है, लेखक के मतानुसार पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन आने से कई नई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। कृषि विकास के लिए वनों की कटाई होने लगती है। इसकी सीमा के बाद गहनतम कृषि की अपेक्षा होती है जिससे कृषि भूखण्ड की प्रत्येक इकाई पर उर्वरकों, रोगनाशक, रसायनों इत्यादि के बारम्बार उपयोग से न केवल मिट्टी की उत्पादन क्षमता कुप्रभावित होती है बल्कि पर्यावरण भी असंतुलित हो जाता है। शीलभद्र (1999)² ने बताया कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, पशु संख्या, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण की वजह से लगभग 20 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों का निर्वनीकरण किया गया एवं औद्योगीकरण से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों ने नई-नई समस्याओं को जन्म दिया है, फलस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता गया और पर्यावरण प्रभावित हुआ व प्रदूषण में वृद्धि हुई। सरकार (2001)³ ने बताया कि अण्डमान के जरावा पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं, मत्स्य आखेट, शिकार एवं संग्रहण द्वारा अपना भोजन जुटाते हैं। घुसपैठियों द्वारा इनके क्षेत्र में शिकार, मत्स्य आखेट एवं संग्रहण में वृद्धि होने से तथा वनों की व्यापक कटाई होने से इनके क्षेत्र में पारिस्थितिक संकट

उत्पन्न हो गया है एवं इनका अस्तित्व खतरे में आ गया है व शासन के प्रयास भी असफल रहे हैं। सिंह (2004)⁴ ने स्पष्ट किया है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने पारिस्थितिकी असंतुलन को बढ़ाया है साथ ही संसाधनों का अत्यधिक व अमितव्ययता के साथ दोहन किया गया है परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में भी संकट की स्थिति बन गयी है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी आदिवासी एवं वन बाहुल्य क्षेत्र बैतूल-छिन्दवाड़ा पठार में जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थितिकी तंत्र के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयास किया है।

अध्ययन क्षेत्र:

उक्त अध्ययन हेतु बैतूल-छिन्दवाड़ा पठार का चयन किया गया है जो कि आदिवासी बाहुल्य व वनीय प्रधान क्षेत्र है। बैतूल-छिन्दवाड़ा का पठार मध्य-सतपुड़ा प्रदेश का एक भाग है इसका विस्तार 21° 22' से 22° 49' उत्तरी अक्षांश एवं 77° से 79° 24' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिलों, 14 तहसीलों एवं 21 विकासखंड में विभक्त है। कुल क्षेत्रफल 21928 वर्ग किलोमीटर है। इस पठारी भाग में कुल जनसंख्या का 34.61 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है। यह क्षेत्र वानस्पतिक दृष्टि से सम्पन्न क्षेत्र यहाँ 8275.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आच्छादित है जो सम्पूर्ण क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र का 38.06 प्रतिशत है।



अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का आँकलन।
2. वनीय संसाधनों के दोहन के परिणामस्वरूप बदलता पारिस्थितिकी तंत्र एवं आदिवासी संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

आंकड़ों के स्रोत:

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एवं साथ ही अवलोकन एवं समूह चर्चा जैसे उपकरणों का भी उपयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु संदर्भ ग्रंथ, प्रतिवेदन, पत्र पत्रिकाएं का उपयोग किया गया है।

शोध प्रविधि:

आदिवासी परिवारों को अध्ययन के लक्षित समूह में रखा गया है। बैतूल एवं छिन्दवाड़ा, दोनों जिलों से कुल दस विकासखण्डों का चयन कर प्रत्येक विकास खण्ड से

दो-दो ग्रामों का चयन किया गया है इस प्रकार कुल 20 ग्रामों का चयन कर प्रत्येक ग्राम से 15 आदिवासी परिवारों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में कुल 300 आदिवासी परिवारों के अध्ययन का चयनित है। यहाँ आदिवासी परिवार अध्ययन की इकाई है।

विश्लेषण सारांश :

बढ़ता जनसंख्या दबाव:

प्रकृति में किसी भी देश अथवा क्षेत्र की जनसंख्या में संख्यात्मक दृष्टि से कभी भी स्थिरता नहीं रही है। विभिन्न प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा अन्य कारणों से विभिन्न देशकाल में जनसंख्या आकार में परिवर्तन होता रहा है। जनसंख्या के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से तालिका 1.1 द्वारा समझा जा सकता है जिसकी तुलना राज्य से की गई है। तालिका 1.1 बैतूल-छिंदवाड़ा पठार में जनसंख्या दशक 1911-21 को छोड़कर सदैव बढ़ी है तथा जनसंख्या बढ़ने की दर दशक 1901-11 एवं 1981-91 को छोड़कर सदैव राज्य के औसत से अधिक रही है।

तालिका - 1.1

बैतूल-छिंदवाड़ा पठार : जनसंख्या वृद्धि, 1901-2011


वर्ष	छिंदवाड़ा		बैतूल		बैतूल-छिंदवाड़ा पठार		मध्यप्रदेश (हजार में)
	जनसंख्या	(हजार में)	जनसंख्या	(हजार में)	जनसंख्या	(हजार में)	
1901	408.0	—	287.6	—	695.8	—	—
1911	517.1	26.7	390.4	35.6	907.5	30.4	15.3
1921	491.8	-4.9	363.7	-6.8	855.6	-5.7	-1.4
1931	573.3	16.6	406.3	11.7	979.5	6.6	11.3
1941	610.3	6.5	438.3	7.9	1049.1	7.1	12.3
1951	646.3	5.9	451.7	3.0	1098.1	4.7	8.7
1961	785.5	21.5	560.4	24.1	1345.9	22.6	24.2
1971	989.4	26.0	436.2	31.4	1725.6	28.2	28.7
1981	1233.1	24.6	925.4	25.7	2158.5	25.1	25.3
1991	1568.7	27.2	1181.5	27.7	2750.2	27.4	26.8
2001	1848.9	17.86	1395.4	18.0	3244.3	17.9	22.7
2011	2090.3	13.05	1575.2	12.88	3665.5	12.98	20.22

स्रोत :-भारत जनगणना 2011, बैतूल-छिंदवाड़ा जिला गजेटियर पृ क्र 26. 5

34 /जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थिति.....

तालिका (1.1) बैतूल-छिंदवाड़ा पठार में जनसंख्या दशक 1911-21 को छोड़कर सदैव बढ़ी है तथा जनसंख्या बढ़ने की दर दशक 1901-11 एवं 1981-91 को छोड़कर सदैव राज्य के औसत से अधिक रही है। यह जनवृद्धि 1901-11 में 30.42 प्रतिशत बढ़ी है। इस अवधि में राज्य के औसत 15.30 से यहाँ जनवृद्धि दुगुनी हुई है। जो कि बैतूल में 35.64 एवं छिंदवाड़ा में 26.74 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिसका कारण बड़ी संख्या में अप्रवासी श्रमिकों का इन

जिलों में आना है। ये श्रमिक छिंदवाड़ा से सिवनी तथा दूसरी ओर इटारसी-नागपुर लाइन को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण रहा है। इसी दशक में कोयले का उत्खनन आरंभ हुआ। दशक 1911-21 के दौरान यहाँ जनसंख्या घटने की दर 5.72 प्रतिशत रही इसके मुख्य कारण वर्ष 1913-14 तथा 1917-18 की सूखे की स्थिति तथा 1918 में इन्फ्लुएंजा का भीषण प्रकोप थे। इसके पश्चात् सभी दशकों में जनसंख्या बढ़ी है।



1951 के पश्चात् पठार की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है एवं इन 60 वर्षों में जनसंख्या दुगुनी हो गई, जो कि 1951 में 1.10 मिलियन थी एवं 2011 में 3.66 मिलियन हो गई।

जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि :

एक निश्चित अवधि में किसी जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही उसकी, वृद्धि का सूचक है जो तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं-जन्म, मृत्यु तथा स्थानांतरण पर आधारित है। इसी वृद्धि पर क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन एवं विकास निर्धारित होता है।

इसी तारतम्य में बैतूल-छिंदवाड़ा की जनजातीय जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई है जिससे आदिवासियों

एवं वनों के मध्य के संबंधों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

तालिका (1.2) से ज्ञात होता है कि आदिवासी जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर जारी रही। लेकिन वृद्धि का क्रम असमान है। बैतूल जिले में जहाँ वृद्धि दर 1961-71 के दशक में 24.92 प्रतिशत थी वहीं 1971-81 में बढ़कर 49.13 हो गई। किन्तु पुनः 1981-91 में घटकर 32.32 प्रतिशत एवं 2001-2011 में पुनः 21.30 प्रतिशत रह गई। छिंदवाड़ा जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 1961-71 के दशक में 33.19 प्रतिशत थी जो 1971-81 में घटकर 18.23 प्रतिशत रह गई। किन्तु 1981-91 में बढ़कर 31.40 प्रतिशत हो गई एवं 2001-2011 में पुनः घटकर 20.00

जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थिति...../ 35

प्रतिशत हो गई। अतः स्पष्ट है कि बैतूल जिले में 1971-81 से लेकर 2011 तक जनजातीय संख्या में जनवृद्धि निरंतर कम हुई है एवं छिंदवाड़ा में 1981-91 के बाद 2001-2011 में जनवृद्धि दर में कमी आयी है। किन्तु यह वृद्धि दर सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं है वे क्षेत्र जो पहाड़ी, पठारों एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं वहाँ परिवार नियोजन

कार्यक्रमों एवं अन्य सुविधाओं का अभाव से जनवृद्धि दर तीव्र है जबकि वे क्षेत्र जो जिला मुख्यालय से नजदीक बसे हुए हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है क्योंकि यहाँ की आदिवासी जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधायें प्राप्त हो रही हैं।

तालिका- 1.2

बैतूल-छिंदवाड़ा पठार : जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि 1961-2011


जिला बैतूल					
क्र.	वर्ष	कुल जनजातीय	जनसंख्या	दशक	जनसंख्या में वृद्धि
वृद्धि दर	(प्रतिशत)		1.	1961	179739
—	—	—	2.	1971	224538
1961-71	44799	24.92	3.	1981	334873
1971-81	110335	49.13	4.	1991	443132
1981-91	108259	32.32	5.	2001	549907
1991-2001	106775	24.09	6.	2011	667018
जिला छिंदवाड़ा					
1.	1961	261298	—	—	—
2.	1971	348026	1961-71	86728	33.19
3.	1981	411478	1971-81	63452	18.23
4.	1991	540704	1981-91	129226	31.40
5.	2001	641421	1991-2001	100717	18.62
6.	2011	769778	2001-2011	128357	20.00

स्रोत: मध्यप्रदेश के आदिवासी : जनगणना संदर्भ, आदिमजाति अनुसंधान संस्थान, भोपाल पृ. 08, भारत जनगणना 2011,⁶

36 / जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थिति.....

म. प्र. के बैतूल-छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी जनसंख्या की बढ़ती वृद्धि दर से यह बात स्पष्ट है कि सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा किए गये विकास की दिशा में प्रयास कम दिखता है। परिणामतः स्थानिक जनसंख्या भार के कारण वे आस-पास के अपने ही आश्रय को लगभग उजाड़ चुके हैं और अब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्यत्र भटकना पड़ता है। जिसका वन पारिस्थिति की के माध्यम से जैव-अजैव जगत पर बुरा असर पड़ रहा है।


चूँकि यहां की साक्षरता पर्याप्त नहीं हैं अतः उन्हें इसका स्पष्टतः आभास नहीं हो पा रहा है और वह पलायित भी हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संस्थायें या व्यक्तिगत इकाइयाँ उनकी स्थिति की जानकारी या विकास योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिये जाती हैं वे उनको सामान्य मानव (अपने से) से हटकर देखती हैं (ऐसा उनसे बात करे पर वह स्वयं महसूस करते हैं) परिणामस्वरूप वे लोग अपनी वास्तविक जानकारी या स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं कराते।



क्षेत्रीय आदिवासी जिसकी पूर्व संस्कृति ही वनीय कही जाती है। कुछ समझदार आदिवासी लोगों से बात करने पर यह स्पष्ट है कि उनके अनुसार, हम जानते हैं कि वन हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान देते हैं उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी पूर्णतः हमारे ही हैं।

मूल रूप से वन विनाश के पीछे बढ़ती जनसंख्या का दबाव और उसके साथ ही निरंतर बढ़ने पशुधन को ही स्वीकार करना है। बढ़ती जनसंख्या ही सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं की जननी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ी हुई वनोपज की मांग तथा भूमि की

भूख ने विशाल स्तर पर वनों का विनाश किया है। आज देश की जनसंख्या इतनी बढ़ी है कि लोगों के खाने, पहनने तथा रहने के लिये व्यवस्था कर पाना कठिन हो रहा है। जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई तदानुसार बढ़ती वनोपज संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, वैसे-वैसे वनों का ह्रास होता गया क्योंकि बढ़ी हुई जनसंख्या के बसने के लिये भूमि की ही आवश्यकता नहीं थी वरन् मकान बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार खेती के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ी जो कि वनों को काटकर ही प्राप्त की गई।



रेखा चित्र क्रमांक 1.1

अतः बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण, अशिक्षा, आवास समस्या, खाद्य समस्या, बेरोजगारी, अकाल, महामारी, भुखमरी, भीड़, दंगे दुर्घटना तथा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे इन समस्याओं का स्वरूप विकराल रूप धारण करता जायेगा। जो निश्चय ही "जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की गुणवत्ता" पर अपना प्रभाव डालती है।

इस प्रकार सुख-सुविधा जुटाने के लिये मानव ने जिस अनुदारता के साथ प्रकृति पर प्रहार किया है वह अवलोकनीय है। एक तरफ रोट्टी, कपड़ा और मकान का सीधा संबंध मानव से है तो दूसरी तरफ पर्यावरण से है। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन हुआ। शहरों में कई स्थानों पर गंदी बस्तियां बस गईं। विकास के लिये फैक्टरियाँ खुलीं। उनमें लगी चिमनियों ने हानिकारक धुआ उगलना प्रारंभ किया, फलस्वरूप पर्यावरण समस्याओं ने जन्म लिया। वर्तमान समय में जनसंख्या में

अत्यधिक वृद्धि हो रही है, इसका मुख्य कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी तथा औसत आयु में वृद्धि है।

बदलता पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रभाव :

अध्ययन क्षेत्र के आदिवासियों समुदाय को वनों से अप्रत्यक्ष लाभों में उन्हें प्रकृति द्वारा स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल, तालाब, झरने, पशु-पक्षियों का कोलाहल, संतुलित तापमान, हरियाली, आर्द्रता, समय पर वर्षा, मिट्टी कटाव से रोक, आंधी व तूफानों से रक्षा, प्राकृतिक खाद, बाढ़ पर नियंत्रण वन्य प्राणियों के शिकार आदि प्रभावपूर्ण कारकों से आदिवासी समाज और प्रकृति के बीच सामंजस्य रहा है तथा ऐसे वातावरण में उन्होंने अपने परम्परागत विश्वासों, प्रथाओं, लोकगीतों, लोकनृत्यों, लोक कथावतों के साथ-साथ अपनी भाषा, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बनाये रखा था।

क्षेत्रीय आदिवासी जिसकी पूर्व संस्कृति ही वनीय

38 /जनसंख्या दबाव से आदिवासी क्षेत्रों का बदलता पारिस्थिति.....

कही जाती है। कुछ समझदार आदिवासी लोगों से बात करने पर यह स्पष्ट है कि उनके अनुसार, हम जानते हैं कि वन हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान देते हैं उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी पूर्णतः हमारा ही है, किन्तु मरता क्या नहीं करता इसलिये हम विवया हैं।

इस प्रकार तेजी से बढ़ती जनसंख्या, पशु संख्या, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण की वजह से प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संकट, प्राकृतिक प्रकोप, सिमटती हरियाली आदि आदिवासियों की वनीय संस्कृति के सामने जटिल प्रश्न बनते जा रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

मनुष्य की वन पारिस्थितिक तंत्र के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उसके द्वारा वनों के विनाश से सूक्ष्म जलवायु प्रभावित हो रही है। वर्षा के जल का नियमन, ताप, उष्णता तथा वाष्पोत्सर्जन एवं हवा के वेग आदि को नियंत्रित करने में वन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों के विनाश से ऐसा दुष्क्र चलता है कि धीरे-धीरे वनस्पति आच्छादन समाप्त होता जाता है, मृदा क्षय बढ़ता है और अन्ततः भौतिक पर्यावरण एवं जलवायु में परिवर्तन होते हैं। इस समग्र परिप्रेक्ष्य में वनों की बहुआयामी

भूमिका को देखते हुए वन विनाश को रोकने की दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए।

विकास के लिये संसाधनों के दोहन के परिणामस्वरूप हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के विचलित होने से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदायों उदित हुई हैं जिनका सीधा प्रभाव मानव पर पड़ रहा है। संसाधनों का निरंतर दोहन करना आज हमारी आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गयी है। संसाधनों के बढ़ते दोहन के लिये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप भूमि पर मनुष्यों का दबाव बढ़ने से व्यक्ति और संसाधनों का संतुलन प्रभावित होता है जिसके कारण आज खाद्यान्न, आवास, रोजगार, यातायात आदि सभी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते जनसंख्या घनत्व के कारण भूमि-मनुष्य आनुपातिक असंतुलन की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे संसाधनों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। संसाधनों की गुणवत्ता में ह्रास के कारण मानव स्वास्थ्य पर बुरे असर/प्रभाव परिलक्षित हुये हैं। अतः यह आवश्यक है कि नियोजित ढंग से विकास की रणनीति बनाकर उसे अपनाया जाये।

संदर्भ :

1. Negi, S.S.(1990); "Himalayan Forests and Forestry" Indus Publishing Company, New Dehli.
2. भद्र, शील (1999); "वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी. पृ.सं. 177, 363, 364
3. सरकार, प्रनोब कुमार (2001); "अंडमान में जरावा की समस्या" *Bulletin Of the Tribal Research Institute Bhopal*, vol.xxviii, No.1&2, June-Dec, 2001, PP-29-35.
4. सिंह, आर.पी. (2004); "आदिवासी जनसंख्या-पर्यावरण एवं विकास" (सीधी जिले, म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन " सम्पादक, मिश्र, दिनेश कुमार, "जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास" ए.पी.एच. पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली, पृ.क्र.113.
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, (2001) जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला, बैतूल- छिंदवाड़ा
6. मध्यप्रदेश के आदिवासी : *जनगणना संदर्भ*, आदिमजाति अनुसंधान संस्थान, भोपाल पृ. 08, भारत जनगणना 2011,



भतरा जनजाति में जन्म संस्कार का मानवशास्त्रीय अध्ययन

*आनंद मुर्ति मिश्रा,
**प्रीति मिश्रा,
***शारदा देवांगन

Received
15 Nov. 2020

Reviewed
21 Nov. 2020

Accepted
30 Nov. 2020

संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ जाते हैं। संस्कारों के दो रूप होते हैं – एक आंतरिक रूप और दूसरा बाह्य रूप। बाह्य रूप का नाम रीतिरिवाज है जो आंतरिक रूप की रक्षा करता है। संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पुर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर मन मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं।

सभी समाज के अपने विशेष रीतिरिवाज होते हैं, जिसके कारण इनकी अपनी विशेष पहचान है, किंतु वर्तमान के आधुनिक युग से कोई भी समाज अछुता नहीं है जिसके कारण उनके रीतिरिवाजों के मूल स्वरूप में कहीं न कहीं परिवर्तन अवश्य हुआ है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भतरा जनजाति के जन्म संस्कार का वृहद अध्ययन करना है। वर्तमान अध्ययन के लिए बस्तर जिले के 4 ग्रामों का चयन कर दैव निर्देशन विधि के माध्यम से प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन कर समुह चर्चा के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि भतरा जनजाति अपने संस्कारों के प्रति अति संवेदनशील है किंतु उनके रीतिरिवाजों में आधुनिकीकरण का प्रभाव होने लगा है। भतरा जनजाति को चाहिए की आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कारों के महत्व को समझाने का प्रयास करें।

संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण है। जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ जाते हैं। इन प्रभावों का वाहक सूक्ष्म शरीर होता है जो जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। संस्कारों के दो रूप होते हैं – एक आंतरिक रूप और दूसरा बाह्य रूप बाह्य रूप का नाम रीतिरिवाज है जो आंतरिक रूप की रक्षा करता है। कोष ग्रंथों में संस्कृत शब्द का अर्थ भी संस्कार शब्द से

मिलता जुलता है इसका अर्थ शुद्ध किया हुआ परिमार्जित, परिष्कृत, सुधारा हुआ, संवारा हुआ है। इसमें मानव के भीतर के दोष को शोधन करने के लिए उन्हें सुस्कृत करने के लिए संस्कारों का प्रावधान किया गया है।

संस्कार :

मानव की संस्कृति ही संस्कारों को जन्म देती है मनुष्य जिस समाज में जन्म लेता है उसकी अपनी विशेष संस्कृति होती है जिसके अनुरूप ही मनुष्य विभिन्न संस्कारों का

* सहायक प्राध्यापक, मानवविज्ञान एवं जनजाति अध्ययन, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

** प्राध्यापक, समाज शास्त्र विभाग, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

*** पी.एच.डी. शोध छात्रमानवविज्ञान एवं जनजाति अध्ययन, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

40 / भतरा जनजाति में जन्म संस्कार का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्वहन करता है। जनजीवन की आधारशिला उनकी परम्पराएं हैं। समाज— संस्कृति का नियमन भी वहीं से होता है। अनुशासन और मानवीय संबंध उसकी छत्रछाया में ही पुष्पित और पल्लवित होते हैं। जनजातियों के विशेष संदर्भ में अध्ययन की सुविधा के लिए, इन्हें विभिन्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृति का सीधा सादा अर्थ है परिष्कार या संस्कार। वस्तुतः परिमार्जित संस्कार ही संस्कृति है इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए डॉ. रामखेलावन पाडेण्य ने लिखा है कि “संस्कृत शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और अंग्रजी कल्चर का समनार्थसुचक है। इसके संबंध की मान्यताओं में पर्याप्त मतभेद और विरोध है। इसकी सीमाएं एक ओर धर्म को स्पर्श करती हैं तो दूसरी ओर साहित्य को अपने बाहूपाश में आबद्ध करती हैं। संस्कृति भौतिक साधनों के संचयन के साथ ही आध्यत्मिकता की गरिमा से मंडित होती है। वेश—भूषा, पंरपरा, पूजा—विधान और सामाजिक रीति—रिवाज की विवेचना भी संस्कृति के अंतर्गत होती है।”

संस्कार का अर्थ:

धर्मशास्त्रों में संस्कारों का अर्थ परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाली वस्तु प्राकृत कहलाती है। “ गुणदोषमय सर्वस्रष्टा स्रजति कौतुकी” के अनुसार सर्वत्र गुण—दोषों का सम्मिश्रण देखा जाता है। व्यक्ति को परिष्कृत करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उसे ही संक्षेप में संस्कार कहते हैं।

संस्कार शब्द सम्+कृ+घञ् करने पर बनता है। संस्कार— पूर्ण करना, संस्कृत करना, प्रयुक्त करना संस्कार कहलाता है।

संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है— दोष दूर करके शुद्ध तथा उन्नत रूप देना, परिमार्जन, उपाय, पूर्वजन्म, शिक्षा, संस्कृति आदि के प्रभाव से मन या आत्मा पर पड़ी हुयी छाप को शुद्ध किया जाता है। आर्य जाति में वे कृत्य या विधान संस्कार कहलाते हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यन्त द्विज वर्णों में आवश्यक माने गये हैं। इन कृत्यों को किये जाने से आत्मा की शुद्धि होती है।

महत्व :

संस्कारों का महत्व वैदिक काल से चला आ रहा है। मानव—जीवन को परिष्कृत करने हेतु इन संस्कारों की आवश्यकता पड़ी जीवन की सार्थकता केवल बाह्य—सौन्दर्य तक ही सीमित नहीं है अपितु वह अभयन्तर तत्व के रूप में मानस पटल पर अंकित होकर संपूर्ण जीवन को अभिलक्षित करके संस्कारों का रूप ग्रहण करती है।

यह संस्कार मुख्य रूप से सोलह माने गये हैं। वर्तमान युग में सांसारिक निकटता ने जीवन को दूसरे रूप में प्रभावित कर इन संस्कारों की महत्ता को कुछ कम अवश्य कर दिया है तथापि वर्तमान समय में भी इनकी जड़ें सुदृढ़ तथा दुर तक फैली हुई हैं। समय—समय पर धर्माचार्यों ने समाज को पथप्रष्ट होता देखकर उसे दीक्षित करके संस्कारों की महत्ता प्रदर्शित की है।

साहित्य का पुर्नावलोकन :

प्रो. उर्मिला पोरवल सेठिया (बैंगलोर) के द्वारा भारत की अनेकोनेक मान्यताओं एवं विशेषताओं में जो सर्वोपरी है वे हैं— संस्कार, संस्कृति और सभ्यता। सामान्यतया इन्हें पर्याय समझा जाता है लेकिन वास्तव में ये तीनों एक ही मार्ग के अलग—अलग पड़ाव हैं, जिनका अपना एक अलग महत्व और अस्तित्व है—मानव केवल शरीरमात्र नहीं हैं। वे तीन स्तरों पर जीते हैं और व्यवहार करते हैं— भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक यही क्रमशः सभ्यता, संस्कृति और संस्कार कहलाते हैं।²

दास 1961 के अनुसार एक गर्भवती महिला को उसकी अच्छी देखभाल व सुरक्षित प्रसव हेतु उसके आहार एवं दैनिक गतिविधियों के संबंध में कई वर्जनाओं (प्रतिबंधों) के अधीन किया जाता है। जबकि आदिवासी समुदायों की गर्भवती महिलाये आमतौर पर बच्चे के जन्म के दिन तक काम करती हैं।³

साहू और पांडा 2005 ने ओडिशा के बालासोर जिले में अध्ययन करते हुए पाया कि कुछ गर्भावस्था के दौरान खाद्य पदार्थों में प्रतिबंध है सामान्य अवधारणा यह थी कि प्रतिबंधित भोजन वस्तुओं से माँ को सर्दी और खांसी होती है या गर्भपात हो सकता है।⁴

प्रेमी 2015 ने अपने अध्ययन में पाया कि मंझवार जनजाति में जन्म संस्कार से संबंधित प्रक्रियाएं बच्चे के गर्भ से ही प्रारम्भ हो जाती हैं और जो कि बच्चे के जन्म के एक दो महीने तक चलती रहती हैं। जन्म संस्कार में धार्मिक क्रियाओं का संबंध शिशु को सभी प्रकार की प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक शक्तियों जैसे — बुरी आत्मा, बुरी नजर, देवताओं का प्रकोप टोना—टोटका आदि से बचाव हेतु किया जाता है।⁵

उद्देश्य :

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भतरा जनजाति के जन्म संस्कार का वृहद अध्ययन करना है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध में तथ्यों का संग्रह करने के लिए बस्तर जिले के 4 ग्रामों नगरनार, टलनार, छोटे देवड़ा और माडपाल का चयन कर दैव निर्देशन विधि के माध्यम से प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन कर समुह चर्चा के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

उपकरण एवं प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची, समुह चर्चा अध्ययन प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

साक्षात्कार : सामग्री को संकलित करने में साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष स्रोत है। इसके अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क करता है और विभिन्न पक्षों पर वार्तालाप करता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता स्थान और परिस्थिति दोनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करता है। साक्षात्कार करते समय आवश्यकतानुसार सूचनाओं का आलेखन भी किया जाता है।

समूह चर्चा : इस प्रकार के साक्षात्कार में एक या एक से अधिक उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र करने का प्रयास किया जाता है।

शोध क्षेत्र :

बस्तर, भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित जिला है। बस्तर जिले एवं बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। इसका क्षेत्रफल 4029.98 वर्ग कि. मी. है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 में 1,411,644, वर्तमान कोंडागांव जिले को सम्मिलित करते हुए थी। जिसमें 697,359 पुरुष एवं 714,285 महिलाएं थी। बस्तर की जनसंख्या में 70 प्रतिशत जनजातिय समुदाय जैसे- गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा, धुरवा समुदाय निवास करते हैं। बस्तर जिला को सात विकासखण्ड/ तहसील- जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड, लोहण्डीगुडा, तोकापाल, दरभा, बास्तानार में विभाजित किया गया है। बस्तर के जनजातीय समुदाय की बड़ी जनसंख्या आज भी घने जंगलों में निवास करती है। बस्तर के जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति, कला, पर्व, सहज जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है।⁶

भतरा जनजाति :

भतरा जनजाति बस्तर जिले के जगदलपुर बकावण्ड और बस्तर ब्लाक के विभिन्न गावों में निवास करती है।

भतरा जनजाति बस्तर की प्रमुख जनजाति है, जो कि तीन प्रकार के पाये जाते हैं- बड़े भतरा, मंजली भतरा और शान भतरा। भतरा जनजाति की अपनी विशेष परंपरा एवं रीतिरिवाज है, जिसके कारण इनकी अपनी विशेष पहचान है। यह अंतर्विवाही प्रकृति के होते हैं तथा एक ही गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है, इनमें ममेरे फुफेरे के बच्चे के बीच में विवाह एवं लमसेना विवाह का प्रचलन है। भतरा जनजाति में मुख्यतः जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार एवं विवाह संस्कार विशेष रूप से किया जाता है।⁷

जन्म संस्कार :

भतरा जनजाति में बच्चे का जन्म संस्कार 7 चरणों पूर्ण किया जाता है, जिसका अपना विशेष महत्व होता है। 1. गर्भाधान 2. प्रसव 3. कसा पानी 4. हांडी छुआ 5. छड़ी कार्यक्रम 6. नामकरण संस्कार 7. मुण्डन संस्कार

भतरा जनजाति में जब स्त्री का मासिक चक्र रुक जाता है तो गर्भधारण का ज्ञान होता है, तो उस स्त्री को देहने आसे कहा जाता है। गर्भधारण के प्रारम्भ, मध्य अर्थात् पूरे गर्भकाल में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ कार्य जैसे- फटी हुई चीजों को सीलना, दीवार में यदि दरार है तो उसे भरना भी वर्जित होता है। गर्भवती माता को खाने भी निषेध होता है जैसे- सीता फल, कटहल, आलू कांदा आदि का सेवन गर्भावस्थावस्था में वर्जित होता है।

प्रसव :

भतरा जनजाति में प्रसव घर पर ही कराया जाता है। प्रसव गांव की प्रशिक्षित दाई (सुईन) के द्वारा कराया जाता है। जिस कमरे में प्रसव कराया जाता है, उस कमरे को मेला बाघरा कहते हैं। बच्चे के जन्म के पश्चात नल/ नारली अर्थात् नेरवा को नये ब्लेड से काटा जाता है (पूर्व में धागा से या झिकरा के द्वारा काटा जाता था) तथा मेला बाघरा में ही उसे एक गडडा कर उसमें पाट दिया जाता है उस गडडे को बोमली खोदरा कहा जाता है, तथा उसी जगह पर आग जला कर बच्चे की सफाई के बाद बच्चे की सेकाई की जाती है, जब तक मां की शुद्धि नहीं होती है तब तक मां तथा बच्चे को उसी मेला बाघरा में निवास करना पड़ता है।

कसा पानी :

प्रसव के तीसरे दिन कसा पानी का आयोजन किया जाता है। इस दिन जंगल से जड़ी-बुटी एकत्रित कर जैसे- ककई कांदा, सिंधी कांदा, बेलपत्ता, हिरवां आदि को गुड के

42 / भतरा जनजाति में जन्म संस्कार का मानवशास्त्रीय अध्ययन

साथ उबालने के पश्चात् लहसुन और जाड़ा तेल या डालडा के साथ बघार कर बनाया जाता है।

फिर मेला बाघरा में पुजहारिन (यह समाज की कोई भी बुजुर्ग महिला होती है जिसके द्वारा पुजा किया जाता है) के द्वारा धूप दीप जलाकर पुजा किया जाता है इसके पश्चात् कसा पानी और तिल का लड्डू माता को तथा अन्य आमंत्रित किये हुए लोगो को दिया जाता है। कसा पानी करने का मुख्य उद्देश्य मां तथा बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर करना होता है क्योंकि कसा पानी जंगली जड़ी-बुटी के द्वारा बनाया जाता है जो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।

हांडी छुआ :

यह विधान माता की शुद्धि के लिए प्रसव के नौवें दिन या जिस दिन बच्चे का नाल झड़ जाता तब किया जाता है। इस विधि को करने के पश्चात् माता की शुद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप माता घर के कामों को कर सकती है।

इस विधि में पुजाहारिन के द्वारा एक हण्डी में पानी भरकर चांवल के कुछ दाने डाल कर उसे पत्तल से ढंक दिया जाता है और मेला बाघरा में ही रख दिया जाता है। इसके पश्चात् पुजाहारिन के द्वारा माता का हाथ पकड़कर उस हण्डी में हाथ को डाला जाता है और माता को चांवल का कुछ दाना निकालने को कहा जाता है। इसके पश्चात् माता शुद्ध होती है तथा घर के कामों को करती है।

छठी कार्यक्रम :

छठी कार्यक्रम वैसे तो बच्चे के जन्म के एक महीने के पश्चात् या दो या तीन वर्ष के पश्चात् अपनी यथा शक्ति अनुसार किया जाता है। यह बहुत ही मुख्य संस्कार है जिसमें आंगन में एक धान का छोटा सा ढेर या एक मटके में धान भरकर रखा जाता है तथा उस धान के ढेर के उपर या मटके के बाजु में एक कलश धान भरकर उसके उपर दीप जलाया जाता है, फिर पूर्व दिशा में मुंह करके माता तथा बच्चे को बिठाया जाता है फिर समाज के सगा संबंधी माता और बच्चे को घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, बच्चे के पिता के द्वारा एक चोखनी में दूध दुर्वा व चांवल लेकर बच्चे के पैर को धुला कर चांवल का टीका कर बच्चे को नंग दिया जाता है इसके पश्चात् समाज के सभी सदस्यों को मां व बच्चे को चांवल का टीका कर उपहार दिया जाता है। धान के ढेर को बच्चे की बुआ 10-20 रुपये देकर ले जाती है।

नामकरण संस्कार :

बच्चे का नामकरण भी छठी कार्यक्रम वाले दिन किया जाता है, बच्चे का नामकरण करने के लिए मां तथा बच्चे को घेरा बनाकर बैठे हुए लोगों के द्वारा एक एक पतरी में पके चांवल का छोटे-छोटे सात लड्डू बनाकर रखा जाता है , मुर्गा सब्जी का पैर , दाल लेकर मां तथा बच्चे के चारो तरफ गीत गाते हुए सात बार घुमाते हैं और बच्चे के कान में नाम को बोला जाता है, इसके पश्चात् बच्चे के ममेरे फुफेरे भाई या बहन (मैना भाई/बहन) के द्वारा पतल में निकाले गये सब्जी व चांवल को जमीन में घसीटते हुए बच्चे का नाम पुकारते हुए मेला बाघरा में रख दिया जाता है। इसके पश्चात् माता को शिवनइन के द्वारा सात दाना चांवल का दिया जाता है जिसे माता बोमली खोदरा में आधा गाढ देती है। इस नियम को करने का उद्देश्य बच्चे के दांतो का अच्छा शेष में आने के लिए किया जाता है। नामकरण संस्कार के पूर्ण होने के पश्चात् सगा संबंधियों को भोज कराया जाता है। यह क्रियाविधि शाम को सम्पन्न की जाती है।

नामकरण संस्कार गीत:- आरयासुर आ नांव संगायबु, भारयासुर आ नांवसंगायबु, महिसासुर आ नांवसंगायबु, खुदरी बाली आव नावसंगांयबु, सांटी डोरी आव नांवसंगायबु, चिमकते आव , लाफडते आव नांवसंगायबु, आयार खोले बस, बुआ र खोले बस।

निष्कर्ष:

बस्तर के भतरा जनजाति में जन्म संस्कार का विशेष महत्व होता है जो कि माता के प्रसव से लेकर छठी कार्यक्रम तक होता है किंतु गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान या संस्कार नहीं किया जाता है इसी प्रकार बच्चे के जन्म बाल को भी जब तक छठी नहीं किया जाता है तब तक उसे नहीं उतारा जाता है तथा जन्म बाल को समाज के किसी भी बुर्जुग व्यक्ति के द्वारा उतरवाया जाता है और उसे नंग स्वरूप मंद (एक बोटल देशी शराब) व खाना तथा अपनी इच्छानुसार पैसा दिया जाता है। मुण्डन संस्कार का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। विशेषतः छठी कार्यक्रम खर्चीली है जिसके कारण माता-पिता बच्चे के जन्म के दो या तीन वर्ष पश्चात् भी छठी कार्यक्रम करते हैं तभी बच्चे का नामकरण किया जाता है।

संदर्भ:

1. <http://.vikaspedia.in> आदिवासी संस्कृति व परंपरा 14.2.21 2.10
2. <http://sarasach.com/urmila-5/> संस्कार, संस्कृति, सभ्यता
3. Sahoo, S., & Panda, B. (2006). A study of nutritional status of pregnant women of some villages in Balasore District, Orissa. *Journal of Human Ecology*, 20(3), 227–232. Retrieved from
4. Das, J.K. (1961). *The Tribes of Orissa, Vol-XII*. Census of India Publication.
5. प्रेमी जितेन्द्र कुमार (2015). *मंझवार जनजाति की धार्मिक मान्यताएं एवं क्रियाकलाप* ए.एण्ड वी. पब्लिकेशन, रायपुर
6. <https://hi.wikipedia.org/wiki> 21.2.19
7. जगदलपुरी लाला ,(2007) : *बस्तर इतिहास एवं संस्कृति*, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी भोपाल



बैगा जनजाति की वनोपज संग्रह की स्थिति का अध्ययन

*राम कुमार उसरेठे

Received
10 Oct. 2020

Reviewed
22 Oct. 2020

Accepted
25 Oct. 2020

बैगा जनजाति एक आदिम जनजाति है। जो सदा से ही वनों के मध्य निवास करती आयी है। वन ही इनके जीवन का प्रमुख आधार रहे है। इस जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक पक्ष वनों पर ही निर्भर रहे है। वर्तमान में वनों के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन विभाग के नियंत्रण में आ जाने से इस जनजाति के कई परिवारों को वन क्षेत्र से बाहर विस्थापित किया गया है। कई क्षेत्रों में वनों के अधिक कटाव एवं दूसरे क्षेत्रों के लोगों का लगातार इन क्षेत्रों में आकर बसने से बैगा जनजाति की वनों पर निर्भरता प्रभावित हुई है। बैगा जनजाति के आर्थिक आधार का प्रमुख पक्ष वनोंपज संग्रह रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इनके वनोपज संग्रह में कमी हुई है।

जनजातियों एवं वनों के मध्य घनिष्ठ संबंध रहे है। वन जनजातियों के आर्थिक आधार रहे है। बैगा एक आदिम संस्कृति संपन्न जनसमुदाय है। वन से प्राप्त होने वाली उपज बैगा जनजाति की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, साथ ही यह बैगा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी है। वनोपज में मुख्य रूप से हर्रा, बहेड़ा, चिरौंजी, महुआ, आवँला, शहद एवं तेन्दुपत्ता आदि एकत्र किए जाते है। इनके अतिरिक्त घरेलु उपयोग के लिए भिलमा, घुई, जामुन, पिहरी एवं जड़ी-बूटियों का संग्रह किया जाता है। अधिक मात्रा में प्राप्त होने पर इन वनोपजों का विक्रय भी किया जाता है। वन विभाग द्वारा वनोपज संग्रह हेतु निश्चित समय के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वनोपज संग्रह बैगा परिवार के कुछ सदस्य करते है। बैगा निवास के पास सघन वन पाये जाते है। इन वनों में बड़ी मात्रा में महुआ के पेड़ पाये जाते है। यही कारण है कि बैगाओं के लिए महुआ वनोपज में प्रमुख है।

“ बैगाओं का मुख्य उद्योग जंगली पैदावार को इकट्ठा करना व बेचना होता है। जंगली फलों में तेंदु, चार, भिलमा,

घुई, जामुन और सगड़ इकट्ठा कर बाजारों या गाँव में बेचने का काम करते है। पैदावार बीनने का काम बैगा स्त्रियाँ करती है।¹ “ बैगा पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाली पुरातन जनजाति है। जंगलों की जनजातियों में बैगा अत्यन्त पिछड़ी जनजाति है।² बैगा जनजाति की निम्न आर्थिक स्थिति का मुख्य कारण यह भी है कि इनके आर्थिक आधार अधिक सशक्त नहीं है। “ कृषि मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी सप्ताह में जहाँ 2-3 दिन मजदूरी करता है, वही कुछ दिन वह वनोपज संकलन या गाँव में अन्य व्यक्तियों के यहाँ कार्य करता है।³ इसके अतिरिक्त “बैगा अपने हाथों से हस्तकला की वस्तुएँ बनाकर बेचते है।⁴ बैगा अर्थव्यवस्था में वनों की वर्तमान भूमिका का अध्ययन करना बैगा विकास की एक महती आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बैगा जनजाति की वनोपज संग्रह की स्थिति का अध्ययन करना।
2. वनोपज संग्रह में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।

* सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय चौराई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

बैगा जनजाति की वनोपज संग्रह की स्थिति का अध्ययन / 45

3. बैगा अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सुझावों को प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र: प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला है।

शोध प्रविधि:

शोध इकाई – बैगा जनजाति परिवार।

शोध समग्र – बालाघाट जिले में निवासरत बैगा जनजाति।

निदर्शन विधि – दैवनिदर्शन विधि से 100 बैगा परिवारों का अध्ययन हेतु चयन किया गया।

तथ्य संकलन – साक्षात्कार अनुसूची, समूह चर्चा एवं अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं से द्वितीयक तथ्यों का संकलन किया गया है।

संकलित तथ्यों का विश्लेषण इस प्रकार है—

सारणी क्र. 1

बैगा परिवारों में वनोपज संग्रह की स्थिति

क्र.	वनोपज संग्रह	पूर्व में		वर्तमान मे	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
2	नहीं	100	100	80	80
योग		00	00	20	20

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि बैगा जनजाति परिवारों के वनोपज संग्रह की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में जहाँ सभी बैगा परिवार वनोपज संग्रह करते थे, वही अब 80 प्रतिशत बैगा परिवारों में ही वनोपज संग्रह किया जाता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बैगा परिवारों में वनोपज संग्रह का कार्य कम होने लगा है।

सारणी क्र. 2

विभिन्न वनोपज के संग्रह की स्थिति

क्र.	वनोपज	पूर्व में		वर्तमान मे	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हर्रा	24	24	16	20
2.	बहेड़ा	24	24	16	20
3.	तेन्दूपत्ता	26	26	20	25
4.	चिरौंजी	70	70	40	50
5.	महुआ	100	100	80	100
6	आंवला	05	05	12	15

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि पूर्व की तुलना में वर्तमान में हर्रा, बहेड़ा, तेन्दूपत्ता और चिरौंजी के संग्रह करने वाले परिवारों में कमी आई है। महुआ का संग्रह करने वाले परिवारों में परिवर्तन नहीं हुआ है। आंवला का संग्रह करने वाले परिवारों में वृद्धि हुई है। क्योंकि वर्तमान में इसकी बाजार में माँग बढ़ी है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बैगा जनजाति के वनोपज संग्रह करने वाले परिवारों की संख्या में कमी आ रही है।

सारणी क्र. 3

वनोपज संग्रह में बदलाव की स्थिति

क्रं.	वनोपज संग्रह	पूर्व में		वर्तमान मे	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	वनोपज की कम प्राप्ति	00	00	64	80
2	वनोपज की पर्याप्त प्राप्ति	100	100	16	20
योग		100	100	100	100

46 / बैगा जनजाति की वनोपज संग्रह की स्थिति का अध्ययन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि पूर्व में सभी बैगा परिवारों को पर्याप्त वनोपज की प्राप्ति होती थी, लेकिन वर्तमान में केवल 20 प्रतिशत परिवारों को ही पर्याप्त वनोपज की प्राप्ति हो रही है।

अतः निष्कर्षतः कहाँ जा सकता है कि वर्तमान में बैगा जनजाति की वनोपज संग्रह की मात्रा में कमी आई है।

सारणी क्र. 4
वनोपज संग्रह में बदलाव की स्थिति

क्र.	वनोपज संग्रह में कमी के कारण	वर्तमान में	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	नये वन कानून	15	15
2	वनों की कटाई	55	55
3	बाहरी लोगों द्वारा वनोपज संग्रह	30	30
योग—		100	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि बैगा जनजाति परिवारों के वनोपज संग्रह में होने वाली कमी के लिए सर्वाधिक 55 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों में वनों की कटाई को, 30 प्रतिशत बैगा परिवारों ने बाहरी लोगों द्वारा

वनोपज संग्रह को तथा 15 प्रतिशत बैगा परिवारों ने नए वन कानून को प्रमुख कारण माना है।

अतः निष्कर्षतः कहाँ जा सकता है कि वर्तमान में वनों की कटाई होने से सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव बैगाओं के वनोपज संग्रह की मात्रा पर पड़ रहा है।

निष्कर्ष — तथ्यों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं—

1. पूर्व की तुलना में वनोपज संग्रह करने वाले बैगा परिवारों की संख्या में कमी आई है।

2. आर्वेला एवं महुआ को छोड़कर शेष सभी प्रकार की वनोपज संग्रह में कमी आई है।

3. पूर्व में सभी बैगा परिवारों को पर्याप्त वनोपज प्राप्त होती थी, लेकिन वर्तमान में केवल 20 प्रतिशत बैगा परिवारों को ही पर्याप्त वनोपज प्राप्त हो रही है।

4. वनों की कटाई एवं बाहरी लोगों द्वारा वनोपज संग्रह किए जाने के कारण बैगा परिवारों में संग्रहित किए जाने वाली वनोपज की मात्रा में कमी आ रही है।

सुझाव:

1. वन विभाग एवं जनजाति विकास विभाग को मिलकर खाली क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण किया जाना चाहिए।

2. जनजातियों को वनोपज का उचित विक्रय मूल्य प्रदान करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

3. बैगा जनजाति के वनोपज संग्रह के व्यवसाय को वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर विकसित किया जाना चाहिए।

संदर्भ:

- निरगुणे, बसंत (2006), 'बैगा' (संपदा) आदिवासी विकास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल पृष्ठ संख्या — 114
- द्विवेदी, भगवती प्रसाद (2006), 'भारतीय जनजातियों—कल आज और कल' एवरेस्ट पब्लिकेशंस दिल्ली पृ.संख्या— 41
- दुबे, रश्मि (2005) "बैगा जनजाति : सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन" गुप्ता पब्लिशर्स, नागपुर पृष्ठ संख्या — 177
- मिश्रा, शिवाकांत (2002) "मध्यप्रदेश की बैगा जनजाति में सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितिकीय परिवर्तन एवं सामंजस्य की समस्याएँ (शोध प्रबंध) डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महु (म.प्र.) पृष्ठ संख्या — 236



बस्तर का नलवंश एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन

*डिश्वर नाथ खुटे

Received
19 Oct. 2020

Reviewed
24 Oct. 2020

Accepted
30 Oct. 2020

सभ्यता का विकास पाषाण काल से प्रारंभ होता है। इस काल में बस्तर में रहने वाले मानव भी पत्थर के नुकीले औजार बनाकर नदी नाले और गुफाओं में रहते थे। इसका प्रमाण इन्द्रावती और नारंगी नदी के किनारे उपलब्ध उपकरणों से होता है। वैदिक युग में बस्तर दक्षिणापथ में शामिल था। रामायण काल में दण्डकारण्य को उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश के महान शासक अशोक ने कलिंग (उड़ीसा) पर आक्रमण किया था, इस युद्ध में दण्डकारण्य के सैनिकों ने कलिंग का साथ दिया था। कलिंग विजय के बाद भी दण्डकारण्य का राज्य अशोक प्राप्त नहीं कर सका। वाकाटक शासक रुद्रसेन प्रथम के समय दण्डकारण्य में समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया। उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया था। समुद्रगुप्त ने 350 ई. में दक्षिण कोसल के राजा महेन्द्र (जो वाकाटक का करद सामंत था) तथा महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। बस्तर में नलवंश का साम्राज्य 290 ई० से 950 ई० तक माना जाता है।

शब्द कुंजी:— तालुका, अबूझमाड़, बैलाडीला, दण्डकारण्य, महावन, कोश, चक्रकोट, भ्रमरकोट, एर्राकोट,।

बस्तर का सामान्य परिचय :

अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंतीय राज्य के रूप में बस्तर 17048' से 20014' उत्तरी अक्षांश और 80015' से 8201' पूर्वी देशांश के मध्य स्थित था। बस्तर का क्षेत्रफल 13062 वर्गमील था, जो कि देश की चौथी बड़ी क्षेत्रफल वाली रियासत थी। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 183 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 205 कि.मी. थी।¹ बस्तर रियासत के उत्तर में कांकेर रियासत एवं रायपुर जिला, पूर्व में जैपुर (उड़ीसा), दक्षिण में भद्राचलम तालुका और पश्चिम में चांदा जिला तथा हैदराबाद का निजाम राज्य विद्यमान था।²

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 जनवरी 1948 ई. को बस्तर व कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला का निर्माण किया गया तथा मध्यप्रान्त में मिलाया गया। 20 मार्च 1981 को बस्तर को संभाग का दर्जा प्रदान किया

गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बस्तर संभाग प्रशासनिक दृष्टि से 7 जिले 32 तहसीलों और 32 विकासखंडों में विभाजित है।³

भौगोलिक परिचय :

बस्तर रियासत की भू-पृष्ठ अनेक प्रकार की शैलों से निर्मित है। ये शैल अत्यंत प्राचीन हैं। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बस्तर के शैलों को निम्नांकित 5 समूहों में बांटा गया है 1. विन्ध्यन शैल समूह 2. कड़प्पा शैल समूह 3. प्राचीन ट्रेप 4. आर्कियन ग्रेनाइट और नाइस 5. धारवाड़ क्रम।⁴

भूगर्भिक बनावट के फलस्वरूप बस्तर में पृथ्वी के प्राचीन शैल से लेकर आधुनिकतम नवीन चट्टाने पायी जाती हैं। बस्तर में मुख्यतः ग्रेनाइट, नाइस, शिस्ट एवं अन्य बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चट्टाने पायी जाती हैं। ये सभी चट्टाने ठोस तथा कठोर होती हैं। इनमें भूमिगत

*सहायक प्राध्यापक इतिहास अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

48 / बस्तर का नलवंश एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन

जल को इकट्ठा करने के गुणों की कमी रहती है तथा जल रिसने की क्रिया का अभाव रहता है। अतः पठार में भूमिगत जल संचयन एवं दोहन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है।⁹

धरातलीय स्वरूप :

बस्तर का धरातलीय स्वरूप सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पर अधिक ऊँचा तो कहीं पर नीचा है। बस्तर की भूमि समुद्र सतह से 160 से 180 मीटर तक ऊँची है।¹⁰ प्राकृतिक दृष्टि से बस्तर को 6 भागों में बांटा जा सकता है—(1) उत्तर का निम्न या मैदानी भाग (2) केशकाल की घाटी (3) अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र (4) उत्तरपूर्वी पठार (5) दक्षिण का पहाड़ी बैलाडीला क्षेत्र (6) दक्षिण निम्न भूमि।¹¹

बस्तर का धरातलीय स्वरूप एवं भूगर्भिक संरचना जल के वितरण को प्रभावित करता है। इसका अधिकांश क्षेत्र उबड़-खाबड़ होने के कारण इन भागों में जल संग्रहण की क्षमता कहीं अधिक तो, कहीं कम है। वहीं दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत मैदानी या कम उबड़-खाबड़ है, जिससे स्थाई और बड़ा सरिताओं का विकास हुआ है। बस्तर संभाग की प्रमुख नदियाँ—इन्द्रावती, शबरी, डंकनी—शंखनी, नारंगी, कोटरी दूध, कांगेर आदि हैं।

बस्तर का ऐतिहासिक परिचय :

सभ्यता का विकास पाषाण काल से प्रारंभ होता है। इस काल में बस्तर में रहने वाला मानव भी पत्थर के नुकीले औजार बनाकर नदी नाले और गुफाओं में रहते थे। इसका प्रमाण इन्द्रावती और नारंगी नदी के किनारे उपलब्ध उपकरणों से होता है।¹² इन्द्रावती नदी के किनारे स्थित खडकघाट, कालीपुर, माटेवाड़ा, देऊरगांव, गढ़चंदेला, बिनता, घाटलोहंगा तथा नारंगी नदी के तट स्थित गढ़बोदरा राजपुर और संगम के आगे चित्रकोट में पाषाणयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। बस्तर के आलोर ग्राम के निकट की पहाड़ी पर शैलाश्रय और शैलचित्र बने हुए मिले हैं। यह चित्र लाल रंग के हैं और मृदा वर्णों से चित्रित हैं। वैदिक युग में बस्तर दक्षिणापथ में शामिल था। यहां के घने जंगलों में निवास करने वाली अनार्य जातियों का उल्लेख तत्कालीन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है।¹³

रामायण काल में दण्डकारण्य को उल्लेख मिलता है। वामन पुराण के अनुसार— दण्डकारण्य का समस्त क्षेत्र वनों से आच्छादित होने के कारण इसे शालवन नाम से जाना जाता था। वायु पुराण के अनुसार— दण्डकारण्य

को वत्सर जनपद के नाम से जाना गया जो बाद में बस्तर बन गया। दण्डकारण्य में कई जनपद सम्मिलित थे। इनमें शबर माल, मूरल तथा वत्सर की चर्चा पुराणों में की गई है।¹⁰

बुद्ध के समय में अस्सक गोदावरी तट का क्षेत्र था। मौर्य वंश के महान शासक अशोक ने कलिंग (उड़ीसा) पर आक्रमण किया था, इस युद्ध में दण्डकारण्य (आटविक) के सैनिकों ने कलिंग का साथ दिया था। कलिंग विजय के बाद भी दण्डकारण्य का राज्य अशोक प्राप्त नहीं कर सका। उसने अपना द्वितीय प्रस्तर अभिलेख में उत्तीर्ण करवाया था कि आटविक जन अविजित पड़ोसी है—“अन्तानं अविजितानं।”¹¹ कलिंग के महामेघ वंश राज्य की स्थापना खारवेल (182 ईसा पूर्व) ने की तथा दण्डकारण्य में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बस्तर व कोरापुट क्षेत्र में अनेक जैन मूर्तियां मिली हैं।¹²

ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी में दण्डकारण्य पर स्थानीय नागवंश ने अपना अधिकार जमाया। नागार्जुन कोण्ड अभिलेख में इस क्षेत्र को महावन कहा गया है।¹³ 202 ई0 से 350 ई. की अवधि दण्डकारण्य के इतिहास में अंधकार पूर्ण रही।¹⁴ वाकाटक शासन रुद्रसेन ८ के समय दण्डकारण्य में समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया। उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया था। समुद्रगुप्त ने 350 ई. में दक्षिण कोसल के राजा महेन्द्र (जो वाकाटक का करद सामंत था) तथा महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था।¹⁵ इसके बाद इस क्षेत्र में गुप्त वाकाटक संस्कृति का प्रभाव बना रहा।¹⁶

बस्तर का नलवंश (250 ई. से 950 ई.)

बस्तर के नलवंश के राजाओं का ज्ञान हमें शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत तथा उनके 5 अभिलेखों और सक्कों से प्राप्त होता है। बस्तर संभाग के कोण्डागांव जिले के अंतर्गत अडेंगा ग्राम से कुल 32 सोने के सिक्कों 1939 ई. में मिले हैं, जो कि नागपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं।¹⁷ बस्तर में नलवंश का साम्राज्य 290 ई0 से 950 ई0 तक माना जाता है।

सिसुक (290 ई. से 330 ई.) —

नलवंश में मूलपुरुष पौराणिक नाम नल को माना जाता है, किन्तु पौराणिक नैषध अथवा महाकान्तार क्षेत्र छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसल) में पुराणों के अनुसार तीसरी शती ई. अंत से चौथी शती ई. के प्रारंभ में पुरिका के शासक का नाम सिसुक मिलता है जो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति

के पुत्र प्रवरसेन प्रथम का समकालीन था। नलवंशीय सिसुक की राजधानी पुरिका को पुष्करी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणपूर्वी भाग में यह स्थित था।¹⁸

व्याघ्रराज (330 ई. से 370 ई.) –

समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से विदित होता है कि उसने दक्षिणापथ के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी तथा उन्हें मुक्त कर दिया था। उस समय महाकान्तर के व्याघ्रराज ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी।¹⁹

वृषध्वज (370 ई.–400 ई.) –

वृषध्वज को नलवंशीय व्याघ्रराज का उत्तराधिकारी माना गया है। इनकी एक मुहर भीटा से प्राप्त हुई है जो चौथी ई. शताब्दी में मध्य-क्षेत्र में हुए थे।²⁰

वराहराज (400 ई.–440 ई.) –

वराहराज ने 400 ई. से 440 ई. तक शासन किया। इनका शासनकाल समृद्धशाली था। इनके 29 सोने के सिक्के एडेंगा से प्राप्त हुए हैं। इनकी मुद्राओं पर नन्दी का चित्र अंकित है जिससे अनुमान होता है कि वह शैव धर्म को मानता था। उसने केशकाल के समीप गोबरहीन गांव में लगभग 22 शिव एवं विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया था। वराहराज की सम्पन्नता को देखकर वाकाटक नरेश नरेन्द्र सेन ने उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर कुछ भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया था।²¹

भवदत्त वर्मन (440 ई.–460 ई.) –

वराह राज के बाद भवदत्त वर्मन नलवंश का शासक बना। वह इस वंश का शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। उसने वाकाटक नरेश नरेन्द्र सेन को पराजित कर अपने पिता के पराजय का बदला लिया और उसकी राजधानी नन्दिवर्धन पर भी अधिकार कर लिया था।²² भवदत्त वर्मन महेश्वर और कार्तिकेय का परम भक्त था। वह अशोक की तरह प्रजा पालक था।²³ उसका शासन काल आर्थिक समृद्धि का काल था जिससे स्वर्णकाल कहा जाता है।²⁴ उसका साम्राज्य पूर्व में कोरापुट से लेकर पश्चिम में बरार तक था। उसने अपनी पत्नी अचली भट्टारिका के साथ प्रयाग यात्रा के समय ग्राम दान किया था। अडेंगा जिला कोंडागांव से उसका चलाया हुआ एक स्वर्ण का सिक्का प्राप्त हुआ है। उसकी मृत्यु संभवतः 460 ई. में हुई।²⁵ भवदत्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी इससे पता लगता है कि वह किसी का करद राजा नहीं था। स्वयं शक्ति संपन्न था।²⁶

अर्थपति भट्टारक (460 ई.–475 ई.) –

भवदत्त वर्मन की मृत्यु के बाद अर्थपति शासक बना। उसे अपने पिता का विस्तृत साम्राज्य प्राप्त था। वाकाटकों पर विजय अभियान में वह अपने पिता के साथ था लेकिन भवदत्त की मृत्यु के बाद नल कुछ समय तक कमजोर हो गए थे। नरेन्द्र सेन के पौत्र पृथ्वी सेन द्वितीय ने नलों पर आक्रमण कर अर्थपति को विदर्भ से भगा दिया और राजधानी पुष्करी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। अर्थपति दानी शासक था। उसके कंसरिबेड़ा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने कौरस गौत्रीय ब्राह्मण दुर्गार्य, रविरार्य तथा रविदत्तार्य को केसेलक ग्राम दान में दिया था। उसने सोने के सिक्के चलाए थे। अडेंगा (जिला कोंडागांव) में उसके दो सिक्के मिले हैं जिनपर “श्री अर्थपति राजस्य” लिखा है।²⁷ वाकाटकों से लड़ाई में अर्थपति स्वयं वीरतापूर्वक लड़ते हुए 475 ई. में मारा गया।²⁸

स्कन्दवर्मन (475 ई.–495 ई.) –

अर्थपति की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई स्कन्दवर्मन राजगद्दी पर बैठा और नलों की शक्ति को पुनः बढ़ाया। उसने नष्ट-भ्रष्ट पुष्करी को फिर से बसाया और गौरव प्रदान किया। अपने राज्य को सुव्यवस्थित कर उसने वाकाटक शासकों पृथ्वीसेन द्वितीय व देवसेन को परास्त किया। वाकाटकों की कमजोरी का लाभ उठाकर विदर्भ के बहुत सारे भाग पर स्कन्दवर्मन ने अधिकार स्थापित कर लिया। स्कन्दवर्मन वाकाटकों के लिए गंभीर खतरा बन गया।²⁹ वह विष्णु भगवान का पूजक था। उसने गौवराहिन नामक गांव (उड़ीसा) में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ब्राह्मण, साधु तथा अनाथों के भरण-पोषण हेतु उसने ईश्वर के नाम से एक गांव का भी दान किया था।³⁰

स्कन्दवर्मा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र व पौत्र नलवंश के शासक बने। उन शासकों का नाम क्या था, यह अब तक अज्ञात है। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन के पुत्र हरिषेण ने नलों की राजधानी पुष्करी पर पुनः आक्रमण कर नल शासक को हराया था। इसके बाद नलों को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। लगभग 150 वर्षों तक त्रिकलिंग क्षेत्र पर पूर्वी गंगों का अधिकार बना रहा।

567 ई. से 597 ई. के मध्य चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलों पर आक्रमण किया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस समय बस्तर और कोरापुट क्षेत्र पर नलों का अधिकार था। नल साम्राज्य पर चालुक्यों का शासन

50 / बस्तर का नलवंश एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन

788 ई. तक रहा। कालांतर में नलवंश के राजा दक्षिण कोसल में चले गए, इसकी पुष्टि राजिम (रायपुर) से प्राप्त 7वीं शताब्दी के अभिलेख से होती है। नलों ने चालुक्य सामंत की कमजोरी का लाभ उठाकर दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया।³¹

पृथ्वीराज (634 ई.-675 ई.) -

634 ई. में पृथ्वीराज ने दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया। उसे परवर्ती नल के नाम से जाना जाता है। वह नलराजा विलासतुंग का प्रपिता था। वह शक्ति सम्पन्न राजा था। उसने नलों की खोयी हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया।³² वह चिकित्सा शास्त्र का भी अच्छा जानकार था।³³

विरूपराज (675 ई.-700 ई.) -

पृथ्वीराज के बाद उसके पुत्र विरूपराज ने सत्ता प्राप्त किया। वह अपने को राजाधिराज कहता था तथा हिमवान की तरह विख्यात था जिसकी स्तुति दिशारूपी बन्दीगण किया करते थे। वह रूप में अप्रतिम तथा सत्यप्रिय था। वह त्यागी भी था तथा शौर्य का अधिकरण भी था।³⁴

विलासतुंग (700 ई.-740 ई.) -

विरूपराज की मृत्यु के बाद विलासतुंग नलवंश का शासक बना। वह एक साहसी और प्रतापी राजा था। उसने महानदी व तेलनदी के तटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार कर लंबे समय तक शासन किया। पाण्डुवंशी तीवरदेव ने 702 ई. के लगभग इस पर आक्रमण किया था, बाद में दोनों में मित्रता हो गई थी। वह पाण्डुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन था। विलासतुंग ने अपने एक स्वर्गीय पुत्र की स्मृति में राजिम में एक प्रस्तर अभिलेख लिखवाया³⁵ और राजीवलोचन मंदिर का निर्माण करवाया।³⁶ विलासतुंग वैष्णवधर्म का अनुयायी था।³⁷

पृथ्वी व्याघ्र (740 ई.-765 ई.) -

विलासतुंग के पश्चात् पृथ्वीव्याघ्र नलवंश का राजा बना। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था तथा चालुक्य राजा विष्णुवर्धन तृतीय के नेल्लोर क्षेत्र के तटीय भाग पर अधिकार किया था। बाद में नन्दिवर्धन के सेनापति उदयचन्द्र ने इन्हें पराजित कर विष्णुवर्धन तृतीय के क्षेत्र से भगा दिया था। इसके बाद अपना पूरा ध्यान अपने साम्राज्य पर केन्द्रित किया।³⁸

भीमसेन (लगभग 900 ई.-925 ई.) -

पृथ्वी व्याघ्र के पश्चात् नलवंश का शासक कौन हुआ, उस पर इतिहासविद् मौन है। पृथ्वी व्याघ्र के शासन के लगभग 150 वर्षों बाद नलवंशी राजा भीमसेन की जानकारी

मिलती है। भीमसेन के पाण्डिय पथर ताम्रपत्र में नलवंशोद्भव तथा कुलकमलाङ्कार की जानकारी मिलती है। उसे महाराजधिराज परमेश्वर भी कहा गया है।³⁹ उसने भट्टपार्जुन नामक ब्राह्मण को कूर्मतलग्राम का दान माता-पिता तथा अपनी पुण्य वृद्धि हेतु दिया था।⁴⁰ इनके साम्राज्य के अंतर्गत बस्तर, कोरापुट तथा गंजाम के क्षेत्र आते थे।⁴¹ नलवंश का पतन:-

नल राजा भीमसेन के पश्चात् नलों का पतन प्रारंभ हो गया था। वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलों को पराजित कर दिया। उधर दक्षिण कोसल में पाण्डुवंशियों के उदय के कारण नलों की सत्ता महाकान्तार तक सीमित हो गयी। 10वीं सदी के प्रारंभ में कल्चुरियों के आक्रमणों से पराजित होने के कारण नल शासक सत्ताविहीन हो गए। कुछ वर्षों बाद बस्तर कोरापुट अंचल में छिंदक-नागवंशीय शासकों का अभ्युदय हुआ जो नलों के उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं।⁴²

प्यारेलाल गुप्त ने लिखा है कि-नलवंश और नागवंश के बीच का काल ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लड़ाई में गुजर गया, चढ़ाइयां होती रही और निर्माण की अपेक्षा विनाश ही अधिक हुआ।⁴³

रामकुमार बेहार ने लिखा है कि-प्राचीन बस्तर में शासन कर रहे नलवंशी शासक समय के साथ कमजोर होते गए, चाहे विजेता हो, चाहे प्रजेता, युद्ध के नुकसान दोनों पक्षों को होता ही है। नलवंशी शासक जब शक्तिशाली थे तब तक वे आक्रमण करते थे, जब वे निर्बल हुए तब उन पर आक्रमण होने लगे। इन आक्रमणों से नलों की शक्ति और क्षीण होती गई।⁴⁴ रोहणी कुमार झा के अनुसार- नलों का शासनकाल बस्तर का स्वर्णयुग माना जाता है।⁴⁵

निष्कर्ष:

बस्तर में नलवंश का शासन बस्तर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। दण्डकारण्य (बस्तर) के नल राजवंशों ने अपने को पुराण कालीन नलवंश से संबंधित मानते हैं। प्राप्त शिलालेखों, स्वर्ण मुद्राओं तथा ताम्रपत्रों से कुछ तथ्य प्रकाश में आये हैं। दण्डकारण्य अंचल और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नलवंशी शासकों के सिक्के व शिलालेख मिले हैं। अतः इतना निष्कर्ष तो सहज ही लगाया जा सकता है कि नलों की प्रसिद्धि इसी अंचल से प्राप्त हुई। इतिहासकारों का मत है कि नलों का साम्राज्य बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट, पूर्वी भण्डारा, और चांदा जिला तक फैला हुआ था। नल

वाकाटकों की राजधानी नंदिवर्धन सहित काफी बड़ा भाग जीत लिया था। नल शासक महान योद्धा थे तथा महाकान्तार क्षेत्र को एक स्थिर शासन प्रदान किया। उनके राज्य की समृद्धि स्वर्ण मुद्राओं के जारी होने से भी प्रतीत होता है। नल राजा शिक्षा और साहित्य के संरक्षक थे। चुल्ल, जान्तुरदास,

दुर्गगोल, अर्कदेव, सुबन्धु जैसे महान लेखक व कवि इनके समय प्रसिद्ध विद्वान थे। नल राजा शैव और बैष्णव धर्म के पोषक थे। रोहणी कुमार झा ने नलों के शासनकाल को बस्तर का स्वर्ण युग माना है।

संदर्भ :

1. डी.ब्रेट.ई.ए., द सेंट्रल प्राविन्सेस गजेटियर, द छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स, 1909, पृ. 25.
2. ग्राण्ट, चार्ल्स, द गजेटियर ऑफ द सेंट्रल प्राविन्सेस एंड बरार, 1870, पृ. 29.
3. चंद्राकर, प्रीतिलता, बस्तर पठार में जल संसाधन—मूल्यांकन एवं विकास—एक भौगोलिक विश्लेषण, वैभव प्रकाशन रायपुर, 2007, पृ. 19.
4. बेहार, रामकुमार (संपा.) बस्तर एक अध्ययन, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1995, पृ. 53.
5. चंद्राकर, प्रीतिलता, पूर्वोक्त, पृ. 26.
6. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, दिव्या प्रकाशन कांकर, 1998, पृ. 6.
7. बेहार, रामकुमार (संपादक), बस्तर एक अध्ययन, पूर्वोक्त, पृ. 54.
8. बेहार, रामकुमार एवं निर्मला, बस्तर आरण्यक, प्रकाशक निर्मला बेहार धरमपुरा जगदलपुर, 1985, पृ. 1.
9. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त पृ. 12.
10. पूर्वोक्त, पृ. वहीं.
11. शुक्ल, हीरालाल, प्राचीन बस्तर, विश्व भारती प्रकाशन नागपुर, 2007, पृ. 4.
12. पूर्वोक्त, पृ. 9.
13. पूर्वोक्त, पृ. 16.
14. बेहार, रामकुमार एवं निर्मला, बस्तर आरण्यक, पूर्वोक्त, पृ. 45.
15. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 20—21.
16. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त, पृ. 14.
17. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 33.
18. यदु, हेमू, छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास, बी.आर. पब्लिसिंग, दिल्ली, 2006 पृ. 32.
19. पूर्वोक्त, पृ. वहीं.
20. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 50.
21. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त, पृ. 16.
22. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 56.
23. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त, पृ. 16—17.
24. यदु, हेमू, पूर्वोक्त, पृ. 32.
25. शुक्ल, हीरालाल, प्राचीन बस्तर, पूर्वोक्त, पृ. 57.
26. बेहार, रामकुमार एवं निर्मला, बस्तर आरण्यक, पूर्वोक्त, पृ. 9.
27. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त, पृ. 17.
28. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 61.
29. पूर्वोक्त, पृ. 62.
30. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त, पृ. वहीं.
31. पूर्वोक्त, पृ. 18.
32. पूर्वोक्त, पृ. वहीं.
33. वर्मा, भगवान सिंह, छत्तीसगढ़ का इतिहास, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2003, पृ. 28.
34. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 68.

52 / बस्तर का नलवंश एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन

35. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त, पृ. 19.
 36. वर्मा, कामता प्रसाद, बस्तर की स्थापत्य कला (5वीं-12वीं शताब्दी), शताक्षी प्रकाशन रायपुर, 2008, पृ. 18.
 37. वर्मा, भगवान सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 88.
 38. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 70.
 39. वर्मा, कामता प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ. 18.
 40. शुक्ल, हीरालाल, पूर्वोक्त, पृ. 71.
 41. वर्ल्यानी, जे.आर. एवं साहसी, व्ही.डी., पूर्वोक्त, पृ. 19.
 42. वर्मा, भगवान सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 28.
 43. गुप्त, प्यारे लाल, प्राचीन छत्तीसगढ़, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, 1973, पृ. 228.
 44. बेहार, रामकुमार एवं निर्मला, पूर्वोक्त, पृ. 9.
 45. झा, रोहणी कुमार, क्रांतिदूत-प्रवीरचंद्र भंजदेव, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर, 2007, पृ. 18.
-



कांकेर में रियासत कालीन जनजातीय समाज की परम्परागत लोक शिल्प कला का ऐतिहासिक महत्व

*सुधा खापर्डे
**चेतन राम पटेल

Received
24 Nov. 2020

Reviewed
30 Nov. 2020

Accepted
04 Dec. 2020

वर्तमान स्वरूप में सामाजिक संरचना एवं लोक शिल्प कला में कांकेर रियासत कालीन युग में जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना में लोक शिल्प कला एवं शिल्प व्यवसाय में जनजातियों की वास्तविक भूमिका का एवं शिल्प कला का उद्भव व जन्म से जुड़ी कुछ किवदंतियों को प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से शिल्पकला में रियासती जनजातियों की प्रमुख भूमिका व हर शिल्पकला किस प्रकार इनकी समाजिकता एवं संस्कृति की परिचायक है एवं अपने भावों को बिना कहे सरलता से कला के माध्यम से वर्णन करना जैसे इन अबुझमाड़ियों की विरासतीय कला है। इस शिल्पकला के माध्यम से इनकी आर्थिकता का परिचय भी कराने का सहज प्रयास किया गया है।

वर्तमान तक परम्परागत सामाजिक संरचना एवं शिल्प व्यवसाय की अर्थसंरचना का विकासात्मक स्वरूप में विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इस शोध पत्र के प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य भारत वर्ष के छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर रियासत कालीन युग में जनजातीय क्षेत्र के प्राचीन समय से मराठा ब्रिटिश काल में जनजातीय समाज में छत्तीसगढ़ की त्रिशद जातीय समुदाय की भांति धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्मुखीकरण का जो परिवर्तनशील रूपरेखा वह जनजातीय समाज की परम्परागत गतिशीलता का परिवर्तनशील रूपरूप था। जिसकी महत्ता को स्थापित करना उद्देश्य है।

“निरंजन महावर” के आलेख आईस एण्ड कॉप्ट से छत्तीसगढ़ तथा लाला जगदलपुरी के ग्रंथ बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति में लोक सामाजिक पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक राष्ट्रीय समरसता के कलात्मक स्वरूप के वर्णन का अनुसंधान की क्षेत्रिय शोत्र विश्लेषण पद्यति का अनुसरण किया गया है।¹ ठीक उसी क्षेत्रीय सामाजिक ऐतिहासिक अनुसंधान पद्यति का अनुसरण करते हुए कांकेर पूर्व रियासतीय युग के जनजातीय लोक

समाजय की शिल्प व्यवसायिक गतिशीलता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण एवं उसकी महत्ता को रेखांकित करना भी इस शोध पत्र का आशय है।

बस्तर वस्तुतः जनजातीय समाजों का एक समुच्चय है, जहां गोंड तथा उसकी उपजातियाँ मुरिया, माड़िया, हल्बा, परजा, दोरला, गदबा, भतरा इत्यादि जातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। जो कि रियासत कालीन युग में भी अपनी परम्परागत शिल्पकला के द्वारा रियासत काल में अपनी अहम भूमिका का भान कराती है।² इन जातियों द्वारा अपनी संस्कृति एवं जातीय आधार पर विभिन्न कलाओं को नये-नये प्रयोग के माध्यम से एवं कुछ प्राकृतिक उदाहरण के द्वारा सीख लेकर विभिन्न परम्परागत कला को नया आकार दिया है, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहनीय है। इनकी कला की पारदर्शिता व आकर्षकता एवं स्पष्ट कलाकृति सहज ही जन समुदाय को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। बस्तर कांकेर में कला एवं संस्कृति का अभूतपूर्व उत्कर्ष रहा है।³

* शोधार्थी बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.)

** शोध निर्देशक शास. इंदरू कॅवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.)

54 / कांकेर में रियासत कालीन जनजातीय समाज की परम्परागत....

जनजातीय समाज की लोक शिल्प कला बहुत ही सुन्दर है तथा इनमें विशेष रूप से इनके विचारों की स्पष्ट कृति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। प्रत्येक जनजातियों की कला का उद्भव एवं जन्म से कोई न कोई घटना जुड़ी है, हर एक नयी घटना नयी कला के जन्म का बखान करती है, जो कि समाज के विभिन्न अवसरों पर जरूरत के अनुसार उपयोगी एवं आवश्यक सी प्रतीत होती है। इन शिल्प कलाओं के जन्म एवं उद्भव के विषय में यहां पर कई किंवदंतियां हैं। हर शिल्प नयी शिल्प कला के जन्म से जनजातीय मानवों का विकास अत्यधिक तेजी के साथ हुआ और नयी-नयी जानकारियां प्राप्त होती गईं और प्रयोग के नये तरीके भी सीखने को मिलते गये जिससे शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास भी रफ्तार ले चुका है।

कांकेर की जनजातीय मुख्य लोक शिल्प कलायें

बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले की जनजातीय मुख्य लोक शिल्प कलायें निम्नलिखित हैं:

घड़वा शिल्प⁴
लौह शिल्प,
मिट्टी शिल्प,
काष्ठ शिल्प,
बॉस शिल्प,
गांडा पाटा(गांडा समुदाय के द्वारा निर्मित कपड़ा)
लोक चित्र,

घड़वा शिल्प

घड़वा शिल्प की उत्पत्ति के विषय में घड़वा शिल्पी "राजन्द्र बघेल" कहते हैं घड़वा शिल्प कला काफी पुरानी कला है, यह आदिमानव के समय से ही अस्तित्व में आ गया था, किन्तु उस समय पीतल का काम नहीं हुआ करता था पहले लोहे का काम हुआ करता था। लकड़ी का काम हुआ करता था। शुरुवात में छोटे-मोटे सामान को ठोक-पीट कर बनाया जाता है, फिर बाद में आग की जानकारी होने से धातुओं को गलाकर जॉच में ढालकर विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया जाने लगा था।

रियासत काल में राजा महाराजाओं की आदेश के अनुसार सोने-चांदी आदि की कला कृतियाँ, बर्तन आदि को बनाया जाता था। मुर्तियाँ, आभूषण, मुखौटे इत्यादि का निर्माण किया जाता था। सामान्य जन के लिए हल्की धातुओं का और रियासती लोगों के लिए सोने-चाँदी की धातुओं को उपयोग लिया जाता था।⁵

लौह शिल्प कला

लौह शिल्प कला रियासती काल में जनजातीय लोगों की परम्परागत कला की है, और आर्थिक संरचना की सुदृढ़िकरण का माध्यम भी है, इस शिल्पी कार्य में लोहे धातुओं को गलाकर विभिन्न प्रकार के आभूषण, अस्त्र-शस्त्र का निर्माण किया जाता था।

बस्तर के कई लौह शिल्पियों से बातचीत में यही बातचीत से यही बात उभर कर सामने आयी सर्वप्रथम लोहे का उपयोग आखेट करने और आत्मरक्षा के लिये अस्त्र-शस्त्र आदि बनाने में हुआ। इसके बाद बारी आयी घरेलू और कृषि प्रयोजनों के लिये लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग किये। फिर देवी-देवताओं के पूजन में उपयोग की वस्तुएं शांतिकाल में संगीत तथा विवाह आदि संस्कारों में उपयोग हेतु विविध प्रकार के उपकरण भी बनाये जाने लगे। लौह शिल्प के पारम्परिक उत्पादों को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है :-

घरेलू एवं कृषि उपकरण
देव-पूजन के उपकरण,
अस्त्र-शस्त्र,
वाद्ययंत्र,
सांस्कारिक सामग्री,
श्रृंगारिक वस्तुएं,

पाषाण युग की बात है, तब आदिमानव पत्थर के अस्त्र-शस्त्र और औजार से काम चलाता था। एक दिन वह आखेट पर निकला पाषाण के औजार से हिरण का मारा वह वहीं गिर पड़ा वही पर दीमक की खुट उस पर पड़ी व आग जलाने पर हिरण का माँस तो जल गया पर उसकी हड्डियों में दीमक की खुट दो धातु पिघलाकर किसी आकृति का रूप ले लिया तब से लौह धातु के बारे में ज्ञात हुआ।⁶

शिल्पकला में जनजातीय पुरुषों के साथ महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लौह धातु के आगमन से सभ्यता को नवीन विकास की धारा का मार्ग अपना लिया एवं समाज की गतिशीलता में एक अलग स्थान बनाने का प्रयास किया।

मिट्टी शिल्प

मिट्टी शिल्प के विषय में असमर के वरेण्य साहित्यकार लाल जगदलपुरी ने कहाँ है "वैसे तो अंचल में कमर-छठ, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के अवसरों पर विभिन्न लोक पूजा के लिए प्रतिवर्ष निर्मित होती आ रही, परन्तु

पोला के अवसर पर कुम्हारों द्वारा तैयार किये गए मिट्टी के खिलौने बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। पोला प्रतिवर्ष भादो की अमावस्या को मनाते हैं। पोला में बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर और चूहे के आकार विशेष रूप से पसंद किये आते हैं। पोला के अवसर पर कुम्हार लोग लड़कियों के खेलने के लिये कौड़ी-बुची मुहैया करते हैं। इस अंचल के कुम्हार विभिन्न प्रकार के मृत्तिका, पात्र, दीपक, दीप-स्तम्भ आदि तो बनाते ही हैं, साथ-साथ वे मृदंग, ढोलक, नगाड़ा आदि वाद्यों के ढाँचे की मिट्टी से तैयार करते हैं।⁸

मिट्टी शिल्प की उपयोगिता आदिवासी एवं लोक जीवन में आरम्भ से हो रही है, और आज भी यह अपनी अनवर्य उपस्थिति मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी प्रसंगों में दर्ज कराता है। मिट्टी सिर्फ जनजातीय समुह के परम्परा का ही नहीं बल्कि समाज एवं देश के विभिन्न वर्गों के विकास का प्रमुख आधार है इस कला में विविधता हो सकती है पर सभी जातिय समुदाय के विकास का यह जमीनी आधार है।

इस कला के उद्भव के बारे में लोगों से ही सुना है कि पहले कच्ची मिट्टी के घड़े बनाये जाते थे, जिसमें पानी भरने पर घुल जाते थे। इसी बीच एक घटना घटी कि एक बड़ा सा लट्ठा पड़ा था उस लट्ठ में दीमक लग गया था उसी लट्ठ से संयोग से आग लग गई और वह लट्ठ जल कर राख हो गया। जिस जगह में दीमक लगा था वहाँ उस दीमक की मिट्टी ने एक गोल आकार ले लिया था। वह आग से पका हुआ था इसे देखकर लोगों ने पाया कि आग में पककर मिट्टी सख्त हो गयी है।

तब से लोगों ने मिट्टी शिल्प को सुरक्षित पाया व मिट्टी की अलग-अलग प्रकार की पारंपरिक आवश्यक कृतियों से सजावट व विशेष अवसरों पर उपयोग में आने वाली आकृतियों का निर्माण किया जाने लगा, सस्ती एवं सरलता से उपलब्धता के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती गई एवं यह कलाकृति आंचलिक ही प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कि बल्कि देश-विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त की। इनसे बनायी गई कुछ कलाकृति हैं तेलई-परई, चुकी, मटका, रूखी, कलश, बाग कौड़ी-बुची, नादिया बैला, घोड़ा, सजावटी वस्तु, फूलदान, हाथी, कचिम (कछुआ) इत्यादि वस्तुएं हैं। जो कि समयानुसार विविध अवसरों पर अपनी अनिवार्यता का एहसास करवाते हैं।⁹

बांस शिल्प

इसी लोक शिल्पकला की अगली कड़ी में बस्तर क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कला बांस शिल्प का बस्तर के जनजीवन से जीवन्त संबंध रहा है। चाहे वे सुपा, टुकना, गपा, गपली, चरेया, परला आदि घरलू उपकरण हों, कृषि उपकरण हो या कि आखेट में मिले प्रयुक्त धनुष और तीर। ये सभी बांस शिल्प की ही देन रहे हैं। बांस शिल्प में परम्परिक रूप से जुड़ी जाति का "पारधी" या "नाहार" कहा जाता है।¹¹

बस्तर के आदिवासी एवं लोक जीवन में बांस के बने विभिन्न उपकरण दैनिक उपयोग में आते रहें हैं बांस शिल्प श्रृंगार प्रसाधन की वस्तु के रूप में भी उपयोग रहा है, बांस शिल्प की उपस्थिति बस्तरियों के दैनिक जीवन और पर्व तथा त्यौहारों के साथ वैवाहिक कार्यों में भी बनी ही है। इस प्रकार बस्तरियों का जीवन बांस के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है, क्योंकि बांस से बनी चीजों से ही उनके जीवन की शुरुवात तीज-त्यौहार, अवसर, विवाह आदि संस्कार में बांस से बनी चीजों का अधिकांशतः उपयोग तो किया जाता है साथ-ही साथ इनकी सुंदर निर्माण कला के कारण देश विदेश में भी इन कृतियों की मांग बनी हुई है।

गांडा पाटा (गांडा समुदाय के द्वारा निर्मित कपड़ा)

गांडा जनजाति के उपजाति "गांडा" द्वारा गांडा पाटा (गांडा समुदाय के द्वारा निर्मित कपड़ा)का निर्माण किया जाता था। इन कपड़ों का जनजातीय समाज में बड़ा ही महत्व था। कपड़ा बनाने का दायित्व जनजातीय के इष्ट देवता लिंगोने गांडा जाति को दी थी। इनके द्वारा निर्मित कपड़े सम्पूर्ण जनजातीय समाज के लिये महत्वपूर्ण मानी जाती थी।

लोक चित्र

उपरोक्त कलाओं के अतिरिक्त बस्तर की रियासत कालीन जनजातियों के द्वारा कौड़ी शिल्प लोक चित्र में इनकी सरलता व खुलेपन के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। इनकी सुंदर व स्पष्ट बनावट सरलता पूर्ण अपने जीवन का चित्रांकन चित्रों के माध्यम से व अन्य कला शिल्प में भी इनकी सरलता का दर्पण लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है।

जनजातियों की शिल्प कला न केवल इनकी विरससतीय पहचान है, बल्कि अब इनके जीवन निर्वाह का भी प्रमुख माध्यम बन चुका है, चूंकि इनके पास जमीन नहीं है, जहां ये कृषि को व्यवसाय के रूप में पाते हैं इसलिए इन्होंने कला

56 / कांकेर में रियासत कालीन जनजातीय समाज की परम्परागत

शिल्प के माध्यम से अपने जीवन के निर्वाह का मार्ग बनाया जिसके द्वारा अपना भरण-पोषण तो करते हैं साथ ही अपनी सभ्यता व संस्कृति का विस्तार भी बिना कहे अपनी कला के माध्यम से सबके सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं ।

चूंकि अच्छी कलाकारी तो है, इससे राज्य में ही नहीं भारत और भारत के बाहर भी इनकी अलग छवि है, पर इसका लाभ बीच के बड़े व्यवसायी वर्ग उठा लेते हैं और इनको इनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है, फिर भी ये जनजातीय लोग अपनी परम्परा संग संस्कृति के साथ न्याय करते हुये व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि कला के विस्तार के रूप में कार्य करते हुए प्रारंभ से लगे हुए हैं ।

निष्कर्ष:

इस शोध पत्र के माध्यम से जनजातीय लोगों की शिल्पकला तथा शिल्प व्यवसाय की विभिन्न बारीकियों एवं समाज में इनके स्थान व शिल्पकला के जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुये उनकी कला और संस्कृति के प्रति और अधिक आकर्षित और जागरूक कराने का छोटा

सा प्रयास किया है, चूंकि इनकी कला से जनजातीय संस्कृति, उत्सव, धर्म को सहजतापूर्वक जाना जा सकता है। जनजातीय कला इनकी अपने जीवन तथा समाज पर आधारित एक ऐसा दर्पण है, जो लोगों में और गहराई से जानने हेतु प्रेरित करती है, क्षेत्रगत और जनजातीय के विभिन्न वर्गों की एक पृथक-पृथक कला इन्हे स्वतः अलग दिखाती है, जो किसी अलग से पहचान या परिचय की जरूरत नहीं होती।

जनजातीय समाज की परंपरागत शिल्पकला जहाँ इनके जीवन यापन का मार्ग है, साथ ही यह कला इनकी संस्कृति व सभ्यता के विस्तार का भी एक सार्थक मार्ग जो बिना बोले, कहे ही कलात्मक रूप से लोगों की आकर्षण का केन्द्र है, जिसको आगामी आंचलिक शोध धारणाओं में एक नई दिशा बोध की संकलित हो सके। इसलिए छोटा सा प्रयास किया गया है।

संदर्भ:

- 1 लाला जगदलपुरी, बस्तर लोककला संस्कृति, विश्वभारती प्रकाशन, धनवटे चेम्बर्स, सीताबाड़ी, नागपुर-12, 2011 पृ. -81
- 2 बेहार, रामकुमार, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छ.ग. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2009, पृ. - 42
- 3 वाल्यानी एवं साहनी, बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (प्रारंभ से 1947 तक), दिव्या प्रकाशन, कांकेर जिला बस्तर (म.प्र.) पृ.- 189
- 4 हरिहर वैष्णव, बस्तर की आदिवासी एवं लोक हस्त शिल्प परंपरा, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली, 2014, पृ. - 19
- 5 वही, पृ.- 131
- 6 लाला जगदलपुरी, वही, पृ. -83
- 7 अलंग, संजय, छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प, अनामिका प्रकाशन, इलाहाबाद, 2015 पृ.-78
- 8 हरिहर वैष्णव, वही, पृ.- 116
- 9 लाला जगदलपुरी, वही, पृ. - 82
- 10 अलंग, संजय, वही, पृ. - 88
- 11 हरिहर वैष्णव, वही, पृ. -240



संत कबीर की पर्यावरणीय चेतना

*प्रवीण कुमार साहू

Received
10 Sep. 2020

Reviewed
20 Sep. 2020

Accepted
22 Sep. 2020

संत कबीर भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा अन्तर्गत ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उनकी वाणियों में जीवन मूल्यों की शाश्वत अभिव्यक्ति एवं मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई है। कबीर की 'आंखन देखी' से कुछ भी अछूता नहीं रहा है। अपने समय की प्रत्येक विसंगतियों पर उनकी सूक्ष्म निरीक्षणी दृष्टि अवश्य पड़ी है। ऐसे में पर्यावरण संबंधी समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं गया हो, यह संभव ही नहीं है। कबीर के काव्य में प्रकृति के अनेक उपादान उनकी कथन की पुष्टि और उनके विचारों को प्रमाणित करते हुए परिलक्षित होते हैं। पर्यावरणीय जागरूकता और सुरक्षा की दृष्टि में कबीर का महत्त्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने समूची मानव जाति को प्रकृति के द्वारा किए गये उपकारों के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करने की शिक्षा दी है। उनके काव्य में कहीं वृक्षों की पत्तियाँ और फूल संसार की नश्वरता और मनुष्य जीवन की क्षणिकता का बोध कराती है तो कहीं जल का आश्रय ग्रहण कर परमात्मा संबंधी रहस्यवादी भावनाओं को उद्घाटित करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कबीर की वाणियों में प्रकृति के विविध रूपों की अभिव्यक्ति दृष्टांतों के रूप में हुई है। इसी से संत कबीर की पर्यावरणीय जागरूकता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

संत कबीर दास जी हिन्दी साहित्य जगत् में क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात है। उन्होंने न केवल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याओं व पाखंडों की खुलकर आलोचना की बल्कि पर्यावरणीय चेतना के प्रति भी बड़े सजग थे। मानव जीवन का पर्यावरण से अटूट संबंध रहा है। मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति में प्राकृतिक प्रतीकों का साहित्य में प्रचुर उपयोग हुआ है। प्रकृति के विभिन्न उपादानों की संयोजना कर साहित्य रचना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रकृति की अन्यतम सुंदरता की अद्भुत एवं कलात्मक अभिव्यक्ति काव्य क्षेत्र का रूचिकर विषय रहा है। साहित्य में प्राकृतिक तत्त्वों की आभिव्यंजना आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में परिलक्षित होता है। इसकी उत्कृष्ट अभिव्यंजना का दिग्दर्शन आधुनिक

छायावादी काव्य में होता है। कवियों ने अपनी मनोभावों का प्रकृति से तादात्म्य कर चीर संतुष्टि प्राप्त की है। संत कबीर ने भी अपनी साखियों एवं पदों में प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से संसार की क्षणिकता, जीवन की नश्वरता, ईश्वर की अलौकिकता एवं नीति पूर्ण उपदेशों का बखूबी वर्णन किया है।

डॉ. बल्देव वंशी का मत है— "धर्म के स्थान पर धार्मिकता—अध्यात्मिकता को वृहत्तर सामाजिक आचरण से जोड़कर कबीर ने बहुत नैतिक संहिता प्रस्तुत की है। यहाँ 'साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोग' की विचारणा देकर समूचे जीव जगत् को एक सूत्र में बांध दिया है तथा जीव हत्या एवं पर्यावरण विनाशी सभ्यता को छह सौ वर्ष पूर्व ही चेता दिया है।"¹

* सहायक प्राध्यापक, हिन्दी शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय दल्ली राजहरा जिला— बालोद (छ.ग.)

58 / संत कबीर की पर्यावरणीय चेतना

मध्य काल में प्रायः सूखा पड़ने के कारण अकाल की समस्या बनी रहती थी। संभवतः यही कारण था कि संत कबीर एवं जन सामान्य का ध्यान पर्यावरण की ओर गया। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना और उसकी देखभाल एवं निगरानी करना आदि बातों पर प्रमुखता से जोर दिया जाने लगा। संत कबीर ने अपने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पदों में नदी, वृक्ष, लता, जंगल, भूमि, जल, पवन, पर्वत, पशु-पक्षी ग्रह-नक्षत्र, फूल-पत्र तथा वृष्टि का वर्णन अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं।

कबीर ने संसार की असारता के वर्णन में जिस तरह से प्राकृतिक उपादानों का दृष्टांत दिया है उससे उनकी पर्यावरणीय बोध का पता चलता है। वे कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। वृक्ष से पत्ते गिर जाने के बाद पुनः नहीं जुड़ सकता उसी प्रकार मृत्यु पश्चात् शरीर दुबारा प्राप्त नहीं हो सकता—

दुर्लभ मानुष जनम है, देह न बारंबार।

तरवर ज्यों पत्ता झड़ै, बहुरि न लागै डार।¹

पर्यावरणीय चेतना भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही दिखाई देता है। वैदिक कालीन जीवन भी पूर्णतः प्रकृति पर केन्द्रित था। यहाँ के मूल निवासी भी आदिम जीवन से ही प्रकृति पूजक रहे हैं। धरती माता के रूप में पूजिता हैं। पेड़-पौधों, नदी, पर्वत और समुद्र में भी किसी न किसी देवी या देवताओं का वास मानकर पूजा करने की परंपरा भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है। वस्तुतः भारतीय साहित्य एवं दर्शन समग्र रूप में पर्यावरण केन्द्रित रहें हैं।

टेसू एवं सेमल के फूल के माध्यम से कबीर ने मानव जीवन की क्षण भंगुरता को रेखांकित किया है। टेसू या पलास का फूल केवल कुछ दिनों के लिए खिलता है और टूट कर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी चार दिन का है। उस पर घमंड करना निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि यह संसार सेमल की फूल की भांति सुंदर एवं मोहक प्रतीत होता है परन्तु यह सारहीन है। मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति को कभी भूलना नहीं चाहिए—

कबीर कहा गरबियो, इस जीवन की आस।

टेसु फूले दिवस चारि, खंखर भये पलास।²

यहु ऐसा संसार है, जैसा सैमल फूल।

दिन दस के व्योहार को, झूठै रंगि न भूल।³

प्राकृतिक प्रतीकों की संत कबीर ने प्रेरणापरक अभिव्यंजना की है। कबीर का मानना है कि प्रकृति के

समस्त तत्वों की उत्पत्ति परोपकार के लिए हुआ है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता और न ही नदी अपने लिए जल का संचय करती है। यह सब दूसरों के लिए होता है। कबीर वृक्ष एवं नदी से परहित का आदर्श ग्रहण कर दान, दया, परोपकार आदि पुण्य कर्म करने की शिक्षा देते हैं—

वृच्छ कबहू नहिं, भखै, नदी न संचै नीर।

परमारथ के कारने सा धुन धरा सरीर।⁴

प्रकृति से विलग मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। समस्त जीवों का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। इसकी सदैव रक्षा करना हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। संत कबीर ने रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति में प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। मानसरोवर—अमृत कुंड, हंस—जीव, तथा गगन गर्जना का प्रतीकात्मक अर्थ अनहदनाद से किया है। इस प्रकार प्रकृति के समस्त उपादान कबीर की भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन बनकर उपस्थित हुआ है—

मानसरोवर सुभर जल, हँसा केलि कराहिं।

मुकताहल मुकता चुगै, अब उडि अनत न जाहिं।⁵

गगन गरजि अमृत चुवै, कदली कँवल प्रकाश।

तहाँ कबीरा बंदगी, कै कोई निज दास।⁶

संत कबीर के अलावा भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, गुरुनानक, रविदास, रहीम, रसखान प्रभृति कवियों के साहित्य में प्रकृति के विभिन्न तत्वों के आधार पर उपदेश परक अभिव्यंजना उनकी पर्यावरण के प्रति अपार प्रेम को दर्शाता है। सृष्टि का प्रत्येक जड़ व चेतन तत्व प्रकृति का ही अंग है। मनुष्य के भौतिक शरीर की रचना भी प्रकृति के पाँच महाभूतों से हुई है। 'रामचरित मानस' की एक चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा भी है—

“छिति जल पावक गगन समीरा

पंच रचित अति अधम सरीरा।⁷”

प्रकृति के प्रति मनुष्य का रवैया अब तक अमानुषिक ही रहा है। प्रकृति का निरंतर शोषण कर मनुष्य ने सभ्यता का वैभव खड़ा किया है। स्वार्थपरता में मनुष्य ने प्राकृतिक उपहारों को अपना अधिकार मानकर लूटा है। जिसके दुष्परिणाम अब भयावह दिखाई देने लगे हैं। पर्यावरणीय असंतुलन इस युग की सबसे भयावह समस्या बन चुकी है। विनाश के कगार पर खड़े मनुष्य को अब पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के द्वारा समूची मानव जाति की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

प्रकृति का प्रत्येक तत्त्व मनुष्य के लिए वरदान है। कबीर ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के प्रति कृतज्ञता एवं पूजनीयता का भाव प्रकट किया है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होना ही पर्यावरणीय सुरक्षा की दिशा में मनुष्य का पहला कदम माना जा सकता है। कबीर ने कहा भी है—

ऊँचे पानी ना टिकै नीचै ही ठहराय।
नीचा होय सो भरि पिवै ऊँचा प्यासा जाय।⁹

निष्कर्षतः कबीर सामाजिक प्राणी होने के साथ ही प्रकृति प्रेमी भी थे। प्रकृति के अनेक तत्त्व कबीर के कथनों की पुष्टि के साधन बनकर उपस्थित होते हैं। कबीर के पर्यावरण विषयक विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक है। उनके काव्य में समाज का सम्पूर्ण स्वरूप सच्चाई के साथ उपस्थित है। जो उनकी गहन विशद समाज बोध का प्रतिफल है। कबीर का विशाल हृदय करुणा की अजरस्त्र धारा से आप्लवित था, जिसमें सभी जीवों एवं प्राणियों के प्रति ममत्व की भावना थी। कबीर का काल आज समकाल बन चुका है।

संदर्भ :

1. वंशी, बल्देव (सम्पा.), *कबीर : एक पुनर्मूल्यांकन*, (सं. 2011), आधार प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड, पंचकूला हरियाणा। पृष्ठ— 13
2. उपाध्याय, अयोध्यासिंह '*हरिऔध*', *कबीर वचनावली*, (सं. 2013), जयभारती प्रकाशन, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद, पृष्ठ— 102
3. दास, श्यामसुंदर, *कबीर ग्रंथावली*, (सं. 2012), विश्वभारती प्रकाशन, सीताबर्डी, नागपुर, चितावणी कौ अंग, पृष्ठ— 77
4. पूर्वोक्त, पृष्ठ— 77
5. उपाध्याय, अयोध्यासिंह '*हरिऔध*', *कबीर वचनावली*, (सं. 2013), जयभारती प्रकाशन, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद, पृष्ठ— 96
6. दास, श्यामसुंदर, *कबीर ग्रंथावली*, (सं. 2012), विश्वभारती प्रकाशन, सीताबर्डी, नागपुर, परचा कौ अंग, पृष्ठ 72
7. पूर्वोक्त, पृष्ठ— 72
8. तुलसीदास, *रामचरितमानस*, किष्किंधा कांड, श्लोक 11, चौपाई 2, गीताप्रेस गोरखपुर, पृ.—3
- 9 उपाध्याय, अयोध्यासिंह '*हरिऔध*', *कबीर वचनावली*, (सं. 2013), जयभारती प्रकाशन, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद, पृष्ठ— 117

